fo"k; lwph

साक्षात्कार
नितिन गडकरी.................... 5

प्रधानमंत्री को पत्र
अरुण जेटली........................ 7

संसद में बहस
डा. मुरली मनोहर जोशी...... 12

लेख
कांग्रेस की काली करतूत
çdk'k tkoMsdj.......... 18
अनिवार्य मतदान
Mk- oSnizrki oSfnd.... 24

अन्य
अनुसूचित जाति मोर्चा........... 27

प्रदेशों से
गुजरात............................... 4
बिहार................................ 6
मध्यप्रदेश............................ 11
उत्तर प्रदेश......................... 17
दिल्ली................................ 25

सम्पादक
çHkkr >k] lkaln
सम्पादक मंडल
lR;iky
d- d- 'kekZ
lathor dqekj flUgk
पृष्ठ संयोजन
/keZsUæ dkS'ky

सम्पर्क
Mk- eqdthZ Lef`r U;kl
ih-ih&66] lqczã.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu ua- +91¼11½&23381428
QSDl ¼ +91¼11½&23387887
lnL;rk gsrq ¼ +91¼11½&23005700

सदस्यता शुल्क
okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-

e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

lEikndh;

कमल संदेश

भगवती सरस्वती विद्या की अधिष्ठाता देवी है और विद्या को सभी धनों में प्रधान कहा गया है। विद्या से ही अमृतपान किया जा सकता है। **-श्री रामचरितमानस**

रंगनाथ मिश्र आयोग की रपट राष्ट्र की अस्मिता को खतरा

रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट पूरे देश को मजहब के आधार पर बांटने की सिफारिश करती है। मिश्र आयोग की मान्यता है कि देश की सभी नौकरियां चाहे वह केन्द्र सरकार की हों या राज्य सरकार की उसे हिन्दू और मुसलमान के आधार पर बांट दिया जाए। आयोग का कहना है कि अल्पसंख्यकों, जिनमें 73 प्रतिशत मुस्लिम हैं और 15 प्रतिशत ईसाइयों को नौकरियां आरक्षित की जाएं। उनका आशय स्पष्ट है कि नौकरी में चयन के लिए मुख्य आधार मजहब को ही माना जाए। जबकि हम सभी जानते है कि संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है। इस पर मिश्र आयोग यहां तक कहता है कि इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है।

रंगनाथ मिश्र आयोग का कहना है कि यह नियम सिर्फ नौकरी में ही नहीं, बल्कि देश की सभी काम–काज करने वाली संस्थाओं पर लागू होना चाहिए। इसी आधार पर वे शिक्षा के क्षेत्र में भी सिफारिश करते हुए कहते है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान चलाने में अधिक से अधिक स्वायतत्ता दी जानी चाहिए। साथ ही दूसरी सरकारी शिक्षा संस्थाओं में भी 15 प्रतिशत सीटें अल्पसंख्यकों के लिए होना चाहिए। इनमें से 10 प्रतिशत मुस्लिमों और 5 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यकों के लिए रखना चाहिए। आगे यदि 10 प्रतिशत मुस्लिम छात्र नहीं हैं तो शेष सीटें अन्य अल्पसंख्यकों को दे देनी चाहिए। आयोग आगे कहता है कि यदि सीटें नहीं भरी जाएं तो इसमें सामान्य छात्रों से नहीं भरी जानी चाहिए।

मजेदार मामला यह है कि आयोग यहीं नहीं रूकता। आयोग कहता है कि सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया को कानूनन यह जिम्मेदारी दे कि वे मुस्लिमों की शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। आयोग कहता है कि सरकार को यह भी चाहिए कि हर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक–एक विश्वविद्यालय को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए।

कमल संदेश परिवार की ओर से

सभी सुधी पाठकों को 'वसंत पंचमी' और 'गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)' की हार्दिक शुभकामनाएं

गुजरात के स्वर्ण जयंती उत्सव का श्रीगणेश

गांधीनगर. गुजरात में महा विधानसभा सत्र के साथ ही 1 जनवरी को वर्ष भर चलने वाले राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष उत्सव का श्रीगणेश हो गया। महा विधानसभा सत्र की वजह से पहली जनवरी 2010 भी गुजरात के इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज हुआ।

दरअसल महा सत्र में राज्य की स्थापना से अब तक सदन की शोभा बढ़ाने वाले अथवा संसद पहुंचने वाले भाजपा, कांग्रेस सहित सभी दलों के महानुभावों को आमंत्रित किया गया था। फलतः 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में शुक्रवार को 705 पूर्व व वर्तमान सदस्य एक साथ पहुंचे और एक–सुर में राज्य के विकास हेतु कार्य करने का संकल्प लिया। कई पूर्व सदस्य दशकों बाद जब सदन पहुंचे तो वे अपनी खुशी को छुपा न सके। हालांकि तीन पूर्व मुख्यमंत्री दिलीप पारीख, सुरेश मेहता व शंकर सिंह वाघेला ने महा–विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया।

आरंभ में विधानसभा में स्वर्णिम जयंती उत्सव के प्रतीक के रूप में कलश–सह काउंट–डाउन क्लॉक की स्थापना की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूववर्ती सभी सरकारों को राज्य के विकास का श्रेय दिया और आश्वासन दिया कि मेरी सरकार सभी को साथ लेकर चलने को प्रतिबद्ध है। राज्य के विकास की रूपरेखा वाले सर्वदलीय संकल्प को पेश करते हुए मोदी ने यह विचार जताए।

श्री वाजपेयी ने बताया गुजरात को भारत का कोहिनूर

पूर्व प्रधानमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समारोह के लिए भेजे संदेश में गुजरात को भारत का कोहिनूर करार दिया। श्री वाजपेयी गांधीनगर से एक बार सांसद रहे हैं। वे स्वास्थ्य कारणों से महा सत्र में पहुंच नहीं सके। केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी व अहमद पटेल ने संदेश भेज कर राज्य के संकल्प का समर्थन किया।

मई १९६० में बना था गुजरात

अविभाजित महाराष्ट्र से पहली मई 1960 को अलग होकर गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। इस वर्ष पहली मई को राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस दिन सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद में मुख्य रंगारंग समारोह होगा जबकि वर्ष 2011 में पहली मई को गांधीनगर में भव्य कार्यक्रम के साथ स्वर्ण जयंती उत्सव का समापन होगा।■

आयोग यही नहीं रूकता, वह आगे कहता है कि सरकार ने मौलाना आजाद एजुकेशन फाऊंडेशन स्थापित किया है, वह फाउंडेशन मुस्लिमों को अपने अलग से स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए धन मुहैया करवाए। आयोग आगे सिफारिश करता है कि बैंकिग संस्थाओं से ऋण इत्यादि की जो सहूलियत मिलती है उसका बंटवारा भी मजहब के हिसाब से होना चाहिए। आयोग की इच्छा है कि देश के मुस्लिमों की जातियों की भी उसी प्रकार सूची बने जिस प्रकार हिन्दुओं की तैयार की गई है। साथ ही यह भी कहते हैं कि जिस तरह हिन्दू समाज के जिन जातियों को अनुसूचित किया गया है, उसी तरह मुस्लिम की जातियों को भी सूचीबद्ध कर उन्हें भी आरक्षण की सुविधा मुहैया कराई जाए।

'रंगनाथ मिश्र आयोग' की ऐसी अनेक सिफारिशें है जो 'भारत' की एकता–अखंडता को खतरे की ओर ले जाती है। आयोग की रिपोर्ट पर अभी बहस नहीं हुई है, पर संसद में रख दिया गया है। भारत के इतिहास में ऐसी खतरनाक सिफारिशें कभी किसी आयोग ने नहीं की। मजेदार मामला है कि ये सिफारिशें वे कर रहे हैं, जो कभी भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश रहे हैं। आखिर सरकार चाहती क्या है?

सारा देश चिंतित है। 'वोट' के लिए कुछ भी करने की छूट भारत में किसी को भी कैसे दी जा सकती है? रंगनाथ मिश्र आयोग की रपट के विरूद्ध प्रत्येक भारतीयों को शंखनाद करना होगा। यह रिपोर्ट भारत की अस्मिता को खतरे में डाल रही है, अतः जनजागरण या इसके विरूद्ध जन अभियान में देर नहीं करनी चाहिए। नहीं तो अंधेर हो जाएगा।■

भाजपा को गांव-गांव जनता से जुड़ना होगा : नितिन गडकरी

भाजपा के भावी पथ के संदर्भ में दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता रामनारायण श्रीवास्तव के साथ खास मुलाकात में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने अपनी भावी रणनीति का खुलासा किया। हम यहां उनसे चर्चा के प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहे हैं।

आपने अध्यक्ष रहते हुए कोई चुनाव न लड़ने का फैसला क्यों किया?

जब मैं दूसरों से कहूंगा कि आप केवल चुनाव के बारे में मत सोचिए, समाज, देश गरीबों के बारे में सोचिए तो मुझे वह नैतिक अधिकार तभी होगा जब मैं कोई पद नहीं लूंगा। इसलिए मैने तय किया कि जब तक अध्यक्ष रहूंगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा।

क्या आपने अपने लिए कोई लघुवधि या दीर्घावधि एजेंडा तय किया है?

अभी जब नए पदाधिकारी चुन कर आएंगे, उनके साथ बात करके तय करूंगा। हालांकि मोटे तौर पर मेरा मानना है कि हमें अपना वोट कम से कम दस फीसदी और बढ़ाना चाहिए। इसके लिए दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्गों तक पहुंच और बढ़ानी होगी। जिन लोगों के मन में कांग्रेस ने हमारे बारे में गलत धारणा बनाई है, उनको जोड़ेंगे। जहां तक राज्यों की बात है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा में और ज्यादा काम करने की जरूरत है।

कैसे काम करेंगे?

मेरा रिकार्ड रहा है कि जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा किया है–भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो। असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। सब कुछ संभव है। राजनीति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हो। बाकी जनता तय करेगी। मैं इसके लिए ही काम कर रहा हूं। मैं अपना काम करना चाहता हूं। मुझे विजय की चिंता या पराभव का दुख नहीं है।

उत्तर प्रदेश में पार्टी की हालत सबसे कमजोर है, आप क्या करेंगे?

अभी उत्तर प्रदेश के बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, मैं वहां के सभी नेताओं से मिल रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। दो सप्ताह बाद केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही बैठने वाला हूं। हम लोग सोचकर, समझकर व मिलकर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में काफी कुछ ठीक करेंगे। मैं खुद उत्तर प्रदेश का दौरा करूंगा, पदाधिकारियों से मिलूंगा, चिंतन करूंगा, फिर जिले–जिले में जाऊंगा। विचारधारा व सिद्धातों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर मैं विशेष ध्यान दूंगा। वहां पर काम बढ़ाकर दस फीसदी वोट बढ़े, यह मेरी कोशिश रहेगी।

झारखंड में भाजपा ने सरकार बनाने के लिए क्या विचारधारा से समझौता नहीं किया?

मुझे यह बताइये कि कांग्रेस को वाम दलों ने समर्थन दिया था तो क्या विचारधारा मेल खाती थी? पश्चिम बंगाल व केरल में विरोध है, लेकिन केंद्र में समर्थन किया। झारखंड में परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। उन्होंने छोटे–छोटे दलों को भी तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी। उस स्थिति में हमने झारखंड की जनता को एक स्थिर व अच्छी सरकार देने की सोची।

क्या यह सिद्धांतों, विचारधारा से समझौता नहीं है?

किसी पार्टी के साथ गठबंधन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं होता है। शिबू सोरेन पर दाग किसने लगाया? उन्हें पैसा देने का काम किसने किया? उनके मामले जो हैं वह अदालत फैसला करेगी। उन्हें जनता ने चुना है। राजनीति राजनीतिक सहमति से होती है।

पार्टी के बड़े नेताओं में मतभेद व मनभेद मुखर हैं, कैसे रोकेंगे?

पार्टी के जो भी सवाल हैं और मत भिन्नता है उसकी चर्चा पार्टी मंच पर हो, मीडिया में नहीं। पहले जब मीडिया में चर्चा होती थी तो मुझे दुख होता था। मैं कोशिश करूंगा कि मीडिया में ऐसे विषय न जाएं। इससे पार्टी की छवि खराब होती है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद खत्म होने चाहिए। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सभी मनभेद भुलाकर पूरी तरह एकजुटता से काम करेंगे।

पार्टी से बाहर गए नेताओं की वापसी करेंगे क्या?

इनमें किसी ने अभी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है। अगर करेंगे तो पार्टी के नेताओं से चर्चा कर उनके बारे में विचार करेंगे।

क्या जसवंत सिंह भी पार्टी में वापस आ सकते है?

कोई भी आ सकता है।

पहल किधर से होगी?

अभी देखिएगा आगे–आगे होता क्या है। मेरा प्रयास है कि जितने लोगों को मैं जोड़ सकता हूं, जोड़ने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आम राय बनाऊंगा। आम राय बनाकर उनको साथ लाने की कोशिश करूंगा।

'पार्टी विद डिफरेंस' कहां भटक गई है?

देखिए मैं बीती बात नहीं करूंगा। मैंने सबको एक बात कही है। मैं पार्टी की विचारधारा के लिए संगठन के लिए काम करना चाहता हूं। मैं पूर्वाग्रही नहीं हूं। सबको सम्मान के साथ लेकर चलूंगा। एक ताकतवर पार्टी बनाऊंगा, यह मेरा आत्म विश्वास है, अहंकार नहीं।

दिल्ली के पार्टी की दूसरी पंक्ति के बड़े नेताओं के बीच आपको ही अध्यक्ष के लिए क्यों चुना?

वह तो आप ही बता सकते हैं। मैं तो संगठन का सिपाही हूं। जो काम पार्टी ने बताया, मैं कर रहा हूं।

आरएसएस की कितनी भूमिका है?

आरएसएस से मेरा बहुत कम संबंध रहा है। मैं पहले विद्यार्थी परिषद में था। इस पद के लिए मुझे पहले आडवाणी जी ने और बाद में राजनाथ सिंह ने कहा।

अब संघ का कितना हस्तक्षेप होगा?

संघ भाजपा में कोई निर्देश नहीं देता है। वह देश व समाज के लिए अच्छा काम करने को कहता है। वह यह कभी नहीं कहता है कि इसे टिकट दो, उसे मत दो।

राजग में विचारधारा को लेकर टकराव है, उसे कैसे मजबूत करेंगे?

राजग में किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। घर–परिवार में भी थोड़ा बहुत झगड़ा चलता रहता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि तलाक हो जाएगा?

क्या आप भी पार्टी को मजबूत करने के लिए आडवाणी की तरह किसी यात्रा पर निकलेंगे?

मैं पहले राष्ट्रीय परिषद में विधिवत चुनाव होने के बाद और नई टीम बनाने के बाद सभी राज्यों का दौरा करूंगा। साथ ही जितने मेरे पदाधिकारी हैं, उनसे कहूंगा कि आठ से दस दिन दिल्ली से बाहर जाएं, कार्यकर्ताओं से मिलें, जनता से मिलें। दिल्ली में बैठकर या मीडिया में बोलने से काम नहीं हो सकता है। दिल्ली से बाहर चलो, गांव की ओर चलो। मै भी दौरा करूंगा और आप भी जाओ।

शिवसेना के साथ संबंधों में खटास आई है?

कोई खटास नहीं है। हमारी समस्या मीडिया है। बाल ठाकरे से बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है और राज ठाकरे के साथ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हमें जाति, पंथ, धर्म व भाषा की राजनीति नहीं करनी है। *(साभार)* ■

बिहार

तरक्की की राह पर बढ़ता बिहार

विकास के मोर्चे पर गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर है बिहार

पिछड़ेपन के लबादे को पीछे छोड़ बिहार अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। इस बात की एक झलक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) की एक ताजा रिपोर्ट में मिलती है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार ने 2004–05 से लेकर मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 11–03 फीसदी की रफ्तार से तरक्की की है। इस दौरान सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्य गुजरात की विकास दर 11.05 फीसदी रही है। इस बात से राज्य सरकार के साथ–साथ कारोबारी भी काफी खुश हैं।

बिहार के उप–मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि, 'लालू प्रसाद और राबड़ी देवी सरकार 1990 से लेकर 2004 तक कुल मिलाकर 25 हजार करोड़ रुपये तक का योजना व्यय नहीं कर पाई थी। लेकिन जबसे सत्ता की बागडोर हमारे हाथों में आई है, हमने बीते चार साल में 51 हजार करोड़ रुपये का योजना व्यय किया है।

यानी हमने हर साल करीब 15 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसका असर तो दिखाई देना ही था। इसके अलावा, हमने खर्चों पर पूरी निगरानी भी रखी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा या नहीं। साथ ही, हमने वित्तीय विकेंद्रीकरण का भी सहारा लिया।'

इस दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में उन्होंने बताया, 'इस दौरान सबसे मुश्किलों भरा साल मौजूदा वित्त वर्ष रहा। इसी साल छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को हमने लागू किया। इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा। साथ ही, केंद्रीय करों से होने वाली कमाई में हमारी हिस्सेदारी भी इस बार कम रह सकती है। वैसे, हम इस बारे में काम कर रहे हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले।'

सीएसओ के मुताबिक बिहार की तस्वीर बदलने में सबसे बड़ा योगदान सेवा और लघु एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) का रहा। श्री मोदी के मुताबिक आने वाले समय में बिहार के विकास में विनिर्माण क्षेत्र भी अहम भूमिका अदा करेगा।

इस रिपोर्ट पर कारोबारी भी काफी खुश नजर आए। बिहार इंड्रस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के.पी. झुनझुनवाला ने बताया, 'यह विकास दर मुख्य रूप से एसएमई क्षेत्र का कमाल है। साथ ही, सेवा क्षेत्र ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। इससे कई निवेशक बिहार की तरफ आकर्षित होंगे।'

हालांकि, झुनझुनवाला के मुताबिक अभी काफी कुछ इस साल के आखिर में सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव पर निर्भर करेगा। उनका कहना है, 'अगर राजग की सरकार की वापसी होती है, तो निश्चित रूप से ज्यादा निवेशक बिहार की तरफ आएंगे।' वैसे, कुछ कारोबारियों का यह भी कहना है कि अगर सरकार उन्हें कैपिटल सब्सिडी मुहैया करवाती है, तो वे कुछ ही समय में गुजरात को भी पीछे छोड़ देंगे। ■

कमल संदेश

अनुच्छेद ३७० की समाप्ति ही देश के हित में : अरुण जेटली

वरिष्ठ भाजप नेता व राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने ''राज्य और केन्द्र के बीच सम्बंध' पर जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा गठित वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर 24.12.2009 को प्रधानमंत्री को पत्र भेज कर उनसे इस रिपोर्ट को खारिज करने का अनुरोध किया। हम यहां उक्त अंग्रेजी पत्र का हिन्दी भावानुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं:–

प्रिय प्रधानमंत्री जी,

आपने श्रीनगर में 25 मई 2006 को 'राउण्ड टेबल कांफ्रेंस' के बाद घोषणा की थी कि जम्मू और काश्मीर राज्य में ऐसे जो भी विभिन्न मुद्दे पेण्डिंग पड़े हैं, उन पर विचार करने के लिए पांच वर्किंग ग्रुपों का गठन किया जाएगा। आपकी इस घोषणा के बाद, राज्य सरकार ने अलग–अलग चेयरपर्सन की अध्यक्षता में पांच वर्किंग ग्रुपों का गठन किया। पांचवां ग्रुप एक महत्वपूर्ण विषय पर ''राज्य और केन्द्र के बीच सम्बंधों पर वर्किंग ग्रुप'' गठित किया गया था। इस ग्रुप की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस (रिटायर्ड) सगीर अहमद ने की। इस ग्रुप में विभिन्न राजनैतिक दलों और संगठनों के इक्कीस सदस्य थे। मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस ग्रुप का सदस्य होने का सुअवसर मिला। इस ग्रुप की बैठक 12 दिसम्बर 2006 और 3 सितम्बर 2007 के बीच पांच दिनों में हुई। इन बैठकों में, अलग–अलग सदस्यों ने मौखिक रूप से चर्चा में विभिन्न विषयों पर अपने–अपने दृष्टिकोण सामने रखे। जम्मू और काश्मीर में राज्यपाल नियुक्त होने से पूर्व श्री एन. एन. वोहरा बैठकों में उपस्थित रहे। इन बैठकों में से एक बैठक में मुख्य सूचना आयुक्त श्री वजाहत हबीबुल्लाह ने जम्मू और काश्मीर राज्य में विकेन्द्रीकृत और पंचायती राज पर विस्तार से अपनी प्रस्तुति रखी।

मेरे पास उपलब्ध रिकार्ड से पता चलता है कि वर्किंग ग्रुप की चौथी और पांचवीं बैठक 2 और 3 सितम्बर 2007 को नई दिल्ली में हुई थी। विभिन्न सदस्यों ने एजेण्डा मदों पर अपनी सम्मतियां दीं। मुझे भी विचारार्थ विषय पर अपनी पार्टी के दृष्टिकोण रखने का अवसर मिला था। 30 अक्टूबर 2007 को परिचालित कार्यवाही के रिकार्ड में कहा है–

''चेयरमैन ने सदस्यों के योगदान की सराहना की और विचार विमर्श में गहन रूचि रखने और लाभप्रद सुझाव देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वर्किंग ग्रुप की अगली बैठक लगभग एक महीने बाद होगी जिसमें वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए आगे के कदम उठाए जाएंगे।''

किन्तु 3 सितम्बर 2007 के बाद कोई बैठक नहीं हुई और व्यावहारिक रूप से वर्किंग ग्रुप की बैठकें समाप्त हो गईं।''

मैंने पर्याप्त सावधानी बरतते हुए, अपनी पार्टी के दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के अलावा वर्किंग ग्रुप के सामने एक लिखित नोट भी प्रस्तुत किया था, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

मुझे इस ग्रुप की रिपोर्ट पर चर्चा करने तक के लिए किसी बैठक के बारे में कोई पत्र नहीं मिला। न ही मुझे इस ग्रुप की रिपोर्ट का कोई प्रारूप देखने को मिला और न ही इस बारे में कोई पत्र परिचालित हुआ है। मेरे पास जो रिकार्ड है, उसके अनुसार 3 सितम्बर 2007 के बाद इस ग्रुप की कोई बैठक नहीं हुई। अतः मुझे आश्चर्य है कि इस ग्रुप ने विभिन्न महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्ट कैसे निकाल दी है। स्पष्ट है कि जिस ग्रुप के 21 सदस्य हों, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, पैंथर पार्टी, कश्मीरी पंडितों आदि के विभिन्न ग्रुप हों, उनमें किसी प्रकार की आम सहमति बनना संभव नहीं हो सकता है। यह किसकी रिपोर्ट है जिसे राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सम्मति है? कोई भी कानून का प्रशिक्षित व्यक्ति संवेदनशील राजनैतिक मुद्दों पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। वह तो मुद्दों पर अधिनिर्णय देता है जो उसके सामने न्यायिक रूप से पेश किए जाते हैं। यह कोई अच्छी प्रथा नहीं है कि जजों को राजनैतिक जंजाल में फंसाया जाए। रिटायर्ड जजों को कार्यभार सौंपने की प्रेक्टिस और सरकारी एजेण्डे पर मोहर लगवाने के लिए उनका प्रयोग करना निंदनीय है। यह किसी भी रिटायर्ड जज के लिए अनुपयुक्त बात है कि वह राष्ट्रीय संप्रभुता वाले संवेदनशील राजनैतिक मुद्दों पर रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करें, और वह भी तब जब कि ग्रुप की आखिरी बैठक के बाद यह रिपोर्ट तैयार

हो और उस पर ग्रुप के किसी सदस्य से चर्चा तक न हो। ज्यादह से ज्यादह यह रिपोर्ट तो जस्टिस (रिटायर्ड) सगीर अहमद की अपनी राय हो सकती है या फिर यह उनकी राय हो सकती है, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार करने में मदद की हो। यह निश्चित ही वर्किंग ग्रुप की आम सहमति वाला दस्तावेज नहीं है। जहां तक इसके बारे में वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों का जो दावा किया गया है, उस सम्बंध में तो यह रिपोर्ट मात्र छलावा है। यह तो पूर्णतः नजरअंदाज करने लायक है।

किंतु फिर भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वर्किंग ग्रुप को लगभग नजरअंदाज किए जाने के दो वर्ष बाद इस रिपोर्ट को एक तरफा ढंग से क्यों लिखा गया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि वर्किंग ग्रुप को नजरअंदाज किया गया और रिपोर्ट पेश की गई? मुझे यह सोच कर बड़ी बेचैनी होती है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कुछ देशों को यह बताना चाहती है कि हम जम्मू और काश्मीर मुद्दे पर हलके पड़ सकते हैं। क्या यह रिपोर्ट उसी प्रयोजन से लिखी गई है?

यह रिपोर्ट बड़े अनुपयुक्त ढंग से तैयार की गई है। मैं इस अनुरोध के साथ यह पत्र लिख रहा हूं कि केन्द्र सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न करे।

हालांकि यह वर्किंग ग्रुप जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ने नियुक्त किया था, परन्तु इसकी नियुक्ति आपकी घोषणा एवं श्रीनगर में राउण्ड टेबल कांफ्रेंस के निर्णय के अनुसार की गई। यही कारण है कि मैंने आपको यह पत्र लिखना उचित समझा। मैं अलग से इस पत्र की प्रतिलिपि जम्मू और काश्मीर के मुख्यमंत्री को भेजूंगा।

Hkonh;

v#.k tsVyh

Mk- euekgu flag

ekuuh; iz/kkuea=h

Hkkjr ljdkj]

fnYyh

■

संलग्नक

lsok esa

tfLVl ¼fjVk;MZ½ lxhj vgen

p;jeSu

jkT; vkSj dsUnz ds chp lEcU/kksa dk ofdZax xzqi

lanHkZ% अरुण जेटली, सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी महासचिव का नोट

egksn;]

श्रीनगर में 25 मई 2006 को राउण्ड कांफ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद ''राज्य और केन्द्र के बीच सम्बंध दृढीकरण'' विषय पर पांचवां वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया। विषय से स्पष्ट है कि इस ग्रुप का गठन राज्य और केन्द्र के बीच सम्बंध दृढीकरण के लिए किया गया है और इसका उद्देश्य संवैधानिक सम्बंधों में और दुराव पैदा करना नहीं है।

जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में केन्द्र–राज्य सम्बंधों के बारे में ग्रुप के माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रस्तावों का सुझाव दिया है। इन प्रस्तावों को निम्नलिखित चार उप–शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

(क) जम्मू और काश्मीर के लोगों के लिए स्व–शासन
(ख) 1953 पूर्व की स्थिति के रूप में जम्मू और काश्मीर के लोगों को स्वायत्तता
(ग) वर्तमान यथा–स्थिति बनाए रखना
(घ) अनुच्छेद 370 की समाप्ति और भारत में जम्मू और काश्मीर राज्य का पूर्णतः विलय

भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से निम्नलिखित दो प्रस्तावों के प्रति वचनबद्ध हैः

(1) अनुच्छेद 370 की समाप्ति और भारत संघ में जम्मू और काश्मीर का पूर्णतः विलय
(2) राज्य के भीतर क्षेत्रों का शक्तियों का विकेन्द्रीकरण जैसे जम्मू और लद्दाख

यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सिद्धांत हों जिनसे उपर्युक्त चार विकल्पों में से कौन से विकल्प केन्द्र–राज्य सम्बंधों को दृढ़ करते हैं।

आज हम अपनी स्वतंत्रता के 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और भारतीय संविधान अपनाने एवं कार्यान्वयन करने के बाद का यह 57वां वर्ष है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया जाना नेहरू काल का हादसा था। जम्मू और काश्मीर सहित भारत के लोगों को शांतचित्त होकर सोचना होगा और यथार्थ में निर्णय करना होगा कि क्या अनुच्छेद 370 से राष्ट्र या राज्य के लोगों का कोई हित हुआ है या क्या उससे राष्ट्रीय एकता को जरा भी मजबूती मिली है? क्या अनुच्छेद 370 और अलग राज्य की स्थिति और पहचान की अवधारणा से उन समस्याओं का समाधान हो पाया है, जिनका समाधान होना चाहिए था या फिर क्या इससे अतिरिक्त समस्याएं पैदा नहीं हो गई हैं? पिछले 57 वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि अनुच्छेद 370 ने आज तक अलग राज्य की स्थिति की मांग ने अलगाववाद को जन्म दिया है। अनुच्छेद 370 और इससे पैदा होने वाली विचारधारा के कारण ही यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है।

अनुच्छेद 370 ने ही एक संवैधानिक राज्य और भारत संघ के बीच मनोवैज्ञानिक बाधा खड़ी कर दी है। यह निरंतर राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक बाधा को जन्म दे रही है। इसके कारण राज्य का आर्थिक विकास अवरूद्ध है और साथ ही साथ इसी के कारण संभावित निवेशक निवेश करने से हिचकिचाते हैं।

जम्मू और काश्मीर राज्य राजनीतिक रूप से पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। पाकिस्तान कभी भी इस तथ्य को पचा

नहीं पाया है कि जम्मू और काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 1947–48 में पाकिस्तान के सशस्त्र आक्रमण के कारण भारत को पाकिस्तान के हाथों जम्मू और काश्मीर का 1/3 हिस्सा गंवाना पड़ा है। 1994 में भारत की संसद में पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव में निहित है कि पाकिस्तान–अधिकृत काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत राष्ट्र इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जम्मू और काश्मीर का वह हिस्सा भारत में बहाल किया जाए।

भारत में जम्मू और काश्मीर के विलय के साथ समझौता न होने के कारण पाकिस्तान ने 1965 और 1971 में भारत के साथ पारम्परिक युद्ध करने की कोशिश करता रहा है। उसके हमलों को पस्त किया गया और 1971 में उसने अपनी ही डिवीजन गंवा कर भारी कीमत चुकानी पड़ी। पाकिस्तान को जब एक बार पूरी तरह पता चल गया कि वह पारम्परिक युद्ध के द्वारा भारत से जम्मू और काश्मीर छीन नहीं सकता है, इसलिए उसने 1980 के दशक में जम्मू और काश्मीर राज्य में सीमा पार आतंकवाद में गैर–परम्परागत युद्ध का षड्यंत्र रचा, जो अभी तक लगातार जारी है। हाल का इतिहास सभी को ज्ञात है। आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर लगाए गए है; भारत पर बड़ी संख्या में हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अन्य अनेक ग्रुप पाकिस्तान की धरती से जम्मू और काश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में अशांति फैला रहे हैं। स्पष्ट है कि भौगोलिक स्थिति बदलने की स्थिति खत्म हो गई है जिसमें कोई भी देश अपने किसी क्षेत्र का विनिमय नहीं कर सकता है। भारत के पास कोई विकल्प नहीं रह गया है सिवाय इसके कि वह अस्थिरीकरण के लिए किए जा रहे पारम्परिक और गैर पारम्परिक दोनों प्रकार के प्रयासों का सामना करे। आतंकवाद से लड़ने में भारत को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हमें अनेक निर्दोष लोगों और सुरक्षाकर्मियों से हाथ धोना पड़ा है। हमारे बजट का एक बहुत बड़ा भाग हमें आतंकवाद के खिलाफ आंतरिक सुरक्षा कायम रखने पर खर्च करना पड़ रहा है। जम्मू और काश्मीर के निर्दोष लोगों को उन लाभों से वंचित होना पड़ रहा है, जो उन्हें राज्य में पर्यटन और औद्योगिक विकास के रूप में मिल सकते थे। निवेशक आतंकवादी क्षेत्रों में धन लगाने को तैयार नहीं होते हैं। पर्यटक असुरक्षित क्षेत्रों में जाना पसंद नहीं करते हैं। आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और सुरक्षा उपायों के कारण कई बार स्थानीय जनसंख्या अलग–थलग पड़ जाती है। इस प्रकार आतंकवाद ने सामाजिक खाई पैदा कर दी है। इस प्रकार की खाई से लोग अलग–थलग पड़ जाते हैं और भावुक लोगों को गुमराह कर देते हैं जिससे वे स्वच्छंदतावाद में विश्वास करना शुरू कर देते हैं और यहां तक कि वे आत्म–निर्णय का नारा बुलंद करने लगते हैं।

अनुच्छेद 370 एक ऐसी मानसिकता को जन्म देता है कि जम्मू और काश्मीर का भारत के साथ 'एक अलग विशेष सम्बंध' है और वह पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं है। इससे आतंकवादियों और पाकिस्तान दोनों को संकेत पहुंचता है कि राज्य के पूर्ण विलय को रोका जा सकता है। 'अलग स्थिति' की मानसिकता आतंकवादियों की करतूत है जिससे वे कुछ गुमराही लोगों को 'स्वतंत्र राज्य' की मांग करने के लिए उकसाते हैं। अनुच्छेद 370 से जिस समस्या समाधान का प्रयास किया गया था, वह किसी भी तरह से हल नहीं हुई है, बल्कि रोग बन गई है। अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल करने के बाद से घटी ऐतिहासिक घटनाएं प्रमाणित करती हैं कि यह प्रावधान स्वयं में ही एक समस्या बन गया है।

जम्मू और काश्मीर के लोगों की वास्तविक समस्या क्या है?

हम मानते हैं कि जम्मू और काश्मीर के लोगों के कुछ वास्तविक मुद्दे इस प्रकार हैं जिन्हें हल किया जाना चाहिएः

(1) आतंकवाद समाप्त कर जम्मू और काश्मीर के लोगों की सुरक्षा

(2) राज्य का आर्थिक विकास

(3) राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना

(4) देश के आर्थिक विकास के वातावरण में राज्य के लोगों का कल्याण, जिसमें नौकरियों के अवसर प्रदान करना शामिल है

(5) राज्य में बसे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को नागरिक अधिकार प्रदान करना; पाक–अधिकृत काश्मीर के शरणार्थियों को मुआवजा प्रदान करना, जिनकी संख्या लगभग दस लाख है।

(6) विस्थापित कश्मीरी पंडितों का घाटी में पुनर्वास

यदि उपर्युक्त समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और समाधान किया जाए तो मूल प्रश्न हैः क्या अनुच्छेद 370 का इन समस्याओं से कुछ भी लेना देना है? क्या अनुच्छेद 370 को और भी आगे बढ़ा कर स्वायत्तता में बदलने से उपर्युक्त किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है? क्या उपर्युक्त समस्याओं का बताए जा रहे सुझावों से कोई भी सम्बंध है? इसका एकदम साफ उत्तर है– नहीं। उपर्युक्त समस्याओं का समाधान केवल और केवल तभी हो सकता है जब यहां शांति और अमन हो, आतंकवाद समाप्त हो, क्षेत्रीय विषमता का अंत हो, शरणार्थियों को नागरिक अधिकार प्राप्त हों, विस्थापित काश्मीरी पंडितों का घाटी में पुनर्वास हो और ऐसी फिजां तैयार हो जिसमें स्थानीय और बाहरी दोनों ही तथा विदेशी निवेशकों को सुख चैन का आभास हो कि जम्मू और काश्मीर निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए स्वर्ग है।

संवैधानिक स्थिति

भारतीय संविधान का स्वरूप परिसंघीय अर्थात् फेडरल है। संघीय सूची के सातवीं अनुसूची में उल्लिखित शक्तियों का सम्बंध केवल केन्द्र और संघीय विधानमंडल की कानूनी क्षमताओं से है। राज्य सूची में उल्लिखित शक्तियां राज्य विधानमंडलों और राज्य सरकारों के दायरे के अंतर्गत रहती हैं। समवर्ती सूची के दोहरे अधिकार क्षेत्र हैं, जिनमें केन्द्र की प्रमुख भूमिका होती है। जम्मू और काश्मीर के संदर्भ में संघीय सूची को पर्याप्त रूप से कम किया गया है जिसमें कुछेक सीमित शक्तियां शामिल रखी हैं। शेष सभी शक्तियां राज्य सूची में है। जम्मू और काश्मीर राज्य के संदर्भ में समवर्ती सूची है ही नहीं। संघीय

सूची में सूची 1, प्रविष्टि 97 में अवशिष्ट शक्तियां हैं अर्थात् ऐसी शक्तियां, जिन्हें अन्य सूचियों अर्थात् सूची II और सूची III में परिभाषित नहीं किया गया है। पूरे भारत के लिए अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र के पास हैं। जम्मू और काश्मीर राज्य में अवशिष्ट शक्तियां पूरी तरह से राज्य के पास हैं। केन्द्र द्वारा बनाए गए कानून स्वतः जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते। इसके लिए राज्य सरकार/राज्य विधानमंडल की सहमति/सत्यापित होना आवश्यक है।

क्या जम्मू और काश्मीर राज्य की समस्या राज्य के विधानमंडल की अपर्याप्तता से सम्बन्धित है? क्या राज्य की कोई समस्या इस तथाकथित अपर्याप्तता के कारण है? ईमानदारी का जवाब है– नहीं। शेष भारत की तुलना में राज्य सरकार और राज्यविधानमंडल की शक्ति सर्वोपरि है। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप केन्द्र के पक्ष में रहता है परन्तु जम्मू और काश्मीर राज्य के मामले में यह राज्य के पक्ष में रहता है। यह विसंगति अनुच्छेद 370 के कारण पैदा होती है। क्या इस असंतुलित शक्ति होने के कारण देश के अंदर और बाहर दोनों ही लोगों में एक अलग–मानसिकता पैदा नहीं होती है? क्या विधानमंडल या राज्य सरकार द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य के शासन में किसी शक्ति की अपर्याप्तता महसूस होती है? स्पष्ट है– नहीं! अतः जो लोग वर्तमान यथास्थिति बनाए रखने या स्वायत्तता और 1953 पूर्व की स्थिति प्रदान करने या स्व–शासन की बात करते हैं, वे राज्य के सामने खड़ी किसी समस्या का हल करने के इरादे से ऐसा नहीं कह रहे हैं। उनकी मंशा तो कुछ लोगों की भावनाओं को उकसाना भर है और अलग–मानसिकता की भावना पैदा करना जिससे अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाए। इतिहास ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जो टेढ़ा विश्लेषण करते हैं, वर्तमान समस्याओं को जकड़ने में लगे हैं और ऐसे समाधान निकालते हैं जिनसे रोग और भी बढ़ जाए और इस प्रकार वे भारत की सम्प्रभुता को कमजोर करने में लगे हुए हैं। अतः भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस विचार को खारिज करते हुए अपने प्रायः उस कथन पर कायम रहना चाहती है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाए और पूरे जम्मू और काश्मीर राज्य को भारत में विलय किया जाए और यही सर्वश्रेष्ठ समाधान है। हमारा मानना है कि पूरे देश के लोगों को राष्ट्रीय अखण्डता में रूचि का अधिकार है, वे स्थायी रूप से कहीं भी निवास कर सकते है और भारत के किसी भी क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

हम इतिहास के सबक को न भूलें। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के भाग XXI में निहित है। उक्त भाग अस्थायी, ट्रांजिशनल और विशेष प्रावधान है। श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने अनुच्छेद 370 (ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन में अनुच्छेद 306 ए) को शामिल करने के लिए बिल पेश करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 एक 'अंतरिम' और ट्रांजिशनल प्रावधान है। देश भर में आलोचनाओं का सामना करते हुए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने इसके ट्रांजिशनल स्वरूप पर जोर देते हुए रहा था कि "यह घिसते–घिसते घिस जाएगा।" यहां भी पंडित जी के जम्मू और काश्मीर पर दिए गए बयान को बाद की घटनाओं ने झुठलाया है। अब तक यह प्रावधान समाप्त नहीं हुआ है। इसे स्थायी बनाने की मांग ही नहीं की जा रही, बल्कि राज्य और भारत संघ के संबंधों को भी कम करने का प्रयास हो रहा है। ऐसे सभी प्रस्तावों से राज्य और संघ के सम्बंधों को मजबूत नहीं करते है। बल्कि ये तो पूरी तरह से सम्बंधों को खत्म करने वाले हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य में विभिन्न क्षेत्र हैं। स्वतंत्रता के बाद से राज्य का प्रशासन प्रमुख रूप से काश्मीर घाटी के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया गया जबकि जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के प्रशासन में निरंतर भेदभाव चलता रहा है। इस भेदभाव के प्रति आलोचना से नजर हटाने के लिए कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने काश्मीर के लोगों के प्रति अन्याय का मुद्दा उठाने की कोशिश की। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली भारतीय आबादी का जो हमें आखिरी आंकडा उपलब्ध है, वह 1999 का है। 1999 में आबादी का राष्ट्रीय औसत, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहा था, वह 26 प्रतिशत है। जम्मू और काश्मीर में यह आंकडा 3.6 प्रतिशत है। अन्य कारणों के अलावा इसका श्रेय राज्य को बड़ी मात्रा में मिल रही केन्द्रीय सहायता है। काश्मीर में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता प्रति वर्ष 3000 रूपए बनती है, जबकि अभी कुछ वर्ष पहले तक भी बिहार जैसे अन्य राज्यों में यह मात्र 300 रूपए है। इस पर भी जम्मू और काश्मीर में जनगणना के सही होने पर विवाद छिड़ा रहता है, जबकि काश्मीर और जम्मू के इन दोनों क्षेत्रों की आबादी में कोई लम्बा–चौडा अंतर नहीं है। काश्मीर की आबादी जम्मू से मामूली सी ज्यादह है। इस पर भी, सरकारी नौकरियों के मामले में बड़े पैमाने पर भेदभाव बना रहता है। राज्य में सरकारी और अर्ध–सरकारी कर्मचारियों की कुल 4.5 लाख की संख्या में से 3.3 लाख कर्मचारी काश्मीर घाटी से हैं। जम्मू और लद्दाख क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है। सिविल सेक्रेट्रिएट में लद्दाख का प्रतिनिधित्व मात्र 0.68 प्रतिशत है। सिविल सेक्रट्रिएट में लद्दाख के बेरोजगारी के आंकडे काश्मीर के आंकडों से कहीं अधिक है जो 69 प्रतिशत से भी अधिक बैठते हैं। वर्तमान में राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हो रहा है। विधान सभा में काश्मीर क्षेत्र के प्रतिनिधियों की संख्या 46 है और जम्मू प्रांत के केवल 37 सदस्य हैं। लद्दाख से केवल 4 सदस्य हैं। जबकि हम देखते हैं कि जम्मू क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 30,59,986 है, जो काश्मीर के मतदाताओं की 28,85,555 संख्या से कहीं अधिक बनती है। यदि तीन क्षेत्रों की विकासात्मक गतिविधियों पर हुए खर्च का विश्लेषण करें तो जम्मू और लद्दाख के साथ हो रहा भेदभाव साफ नजर आने लगता है। जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में चल रहे इस भेदभाव पर लोगों में गहरा आक्रोश है। अतः यह महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि इस वर्किंग ग्रुप को जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में विकेन्द्रीयकृत शासन के तौर तरीके बताने चाहिए थे। एक सम्भावित विकल्प यह हो सकता है कि इन दो क्षेत्रों में संवैधानिक रूप से प्रदत्त आधिकारिक प्रांतीय परिषदें स्थापित कर दी जाएं। इन प्रांतीय परिषदों के पास विकासात्मक गतिविधियों सम्बंधी वित्तीय और विधायी अधिकार क्षेत्र रहे। ■

v#.k tsVyh]
2 flrEcj] 2007

रंगनाथ मिश्र आयोग और जस्टिस सगीर अहमद की रिपोर्ट

देश की अखण्डता और राष्ट्रीय अस्मिता के साथ मजाक : सुषमा स्वराज

Hkkरतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज के नेता प्रतिपक्ष के रूप में मध्यप्रदेश में प्रथम आगमन पर सुषमा जी का भव्य स्वागत किया गया। अपने सम्मान के उत्तर में सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपे जाने पर देश भर से शुभकामनाएं और बधाइयां मिलीं हैं। इस सम्मान का श्रेय मध्यप्रदेश की जनता को है और यह सम्मान भी मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता को समर्पित करती हूं। मध्यप्रदेश के हितों को तथा विदिशा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और प्रदेश की समस्याएं जनाकांक्षा के अनुरूप हल करने में कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ी जावेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे जनता द्वारा सौंपी गई जिम्मेवारी की कसौटी पर खरी उतरेंगी। न तो देश को विभाजित होने देंगी और न जन समस्याओं की उपेक्षा को बर्दाश्त किया जावेगा। देश में विपक्ष को संगठित करके कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की निरंकुशता पर लगाम लगाने के लिए तत्पर रहेंगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने रंगनाथ मिश्र आयोग को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह देश की एकता को विभाजित करने का दस्तावेज है। उन्होंने जस्टिस सगीर अहमद की अनुशंसाओं को देश की अखण्डता और राष्ट्रीय अस्मिता के साथ भद्दा मजाक बताया और कहा कि डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को राष्ट्र का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया।

जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसके साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जावेगी। डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन जनसंघ संसदीय दल के नेता के रूप में जम्मू कश्मीर को देश का अखण्ड अंग बनाया था, उसे किसी भी तरह विभाजित नहीं होने दिया जावेगा। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास के क्रांतिकारी प्रयास हुए हैं। उनकी देशभर में चर्चा हुई है। उन्होंने मध्यप्रदेश की समस्याओं की ओर इंगित करते हुए कहा कि गरीबों को खाद्यान्न की पूर्ति की समस्या हो

अथवा प्रदेश के हित से जुड़ी दीगर समस्या हो, उसे लोकसभा में आक्रामक ढंग से उठाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि वे हर माह प्रदेश में पहुंचेंगी और जनता के बीच में रहेंगी। उनके और कार्यकर्ता के बीच में कोई दूरी नहीं रखी जावेगी।

पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने सुषमा जी का स्वागत करते हुए कहा कि सुषमा स्वराज ने विदिशा से मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा में चौथे नेता प्रतिपक्ष का सम्मान हासिल किया है। माननीय अटल जी को विदिशा की जनता ने लोकसभा में भेजा था और उन्होंने मध्यप्रदेश का शानदार ढंग से प्रतिनिधित्व किया। माननीय आडवाणी जी को भी मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान प्राप्त हुआ था। इसी पंक्ति में सुषमा जी को पाकर प्रदेश की जनता आल्हादित है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें सशक्त होकर देश के लिए कार्य करना होगा। केन्द्र में कमजोर सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी और भी बढ़ गयी है। उन्होंने केन्द्र की ढुलमुल नीतियों, जर्जर होती आंतरिक सुरक्षा, बेलगाम महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए इसके लिए कांग्रेसनीत यूपीए सरकार को जवाबदेह बताया और आशा व्यक्त की कि सुषमा स्वराज के नेतृत्व में केन्द्र की निरंकुश नीतियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें स्वागत करने का अवसर मिला है। सुषमा जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश गौरवांवित है। उन्होंने विदिशा संसदीय क्षेत्र को भाग्यशाली क्षेत्र बताया और कहा कि इस क्षेत्र से हमें अटल बिहारी वाजपेयी, शिवराज सिंह चौहान और उनके बाद सुषमा जी का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

सुषमा जी पर प्रदेश की आशाएं केन्द्रित हैं। प्रदेश की साढ़े छह करोड़ जनता उनके साथ है। वे अपनी जिम्मेवारी में खरी उतरेंगी। उक्त अवसर पर राष्ट्रीय सचिव सर्वश्री प्रभात झा, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान, सह संगठन महामंत्री भगवत शरण माथुर, बाबूलाल गौर, रामेश्वर शर्मा, राघवजी, उमाशंकर गुप्ता, रामकृष्ण कुसमरिया, विजय शाह, करणसिंह वर्मा, भोपाल महापौर कृष्णा गौर, सरिता देशपाण्डे, विश्वास सारंग, ध्रुवनारायण सिंह, जितेन्द्र डागा, आलोक संजर, सुरेन्द्रनाथ सिंह, सहित प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ■

विकास का पश्चिमी मॉडल ही विनाश की जड़

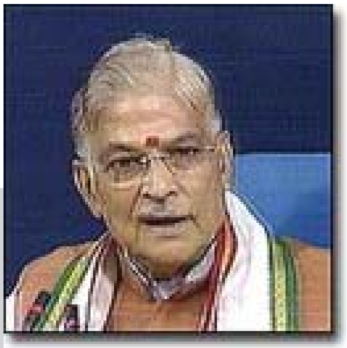

संसद के शीतकालीन सत्र में 3 दिसम्बर को भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद डा. मुरली मनोहर जोशी ने जलवायु परिवर्तन पर लोकसभा में बहस की शुरुआत करते हुए सारगर्भित भाषण दिया। हम यहां उनके भाषण का संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:–

सभापति महोदय, मैं जलवायु में परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो सारे विश्व में ही पर्यावरण गर्म हो रहा है। उसका असर आज यहां सदन में भी दिखाई दिया। यह बहुत खतरे की बात है, जैसे कि दुनिया का पर्यावरण गर्म होने पर काफी संकट है। अगर सदन में भी इसी तरह से गर्मी बढ़ती रहेगी तो जनतंत्र के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। मेरा अनुरोध है कि इस पर्यावरण के मामले पर बहुत गंभीरता से विचार करें। पर्यावरण के संबंध में कुछ तो शॉर्ट–टर्म सवाल हैं और कुछ लौंग–टर्म सवाल हैं। पर्यावरण के कुछ शॉर्ट–ड्यूरेशन इफैक्ट्स हैं और कुछ लौंग–ड्यूरेशन इफैक्ट्स हैं। लौंग–ड्यूरेशन इफैक्ट्स शॉर्ट–ड्यूरेशन इफैक्ट्स से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहली बात तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2007–08 की शुरुआत में ही कहा गया है कि दुनिया गर्म हो रही है। यह संदेह किया जा रहा है कि जिस रफ्तार से विश्व का तापमान बड़ रहा है, यदि उसको नियंत्रित नहीं किया गया तो यह भी संभावना है कि 2100 के अंत तक अर्थात् इस शताब्दी के अंत तक 5 डिग्री से भी ज्यादा तापमान आगे बढ़ सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद 9 डिग्री तक भी तापमान चला जाए। 5 डिग्री तक तापमान के जाने की संभावनाएं तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने अभी जो नये एमआईटी के रिसर्चर आए हैं, उन्होंने बताया है कि शायद यह 9 डिग्री तक चला जाए और यह केवल 21 वीं शताब्दी का ही सवाल नहीं है, 22वीं और 23वीं शताब्दी में भी इसके असर होंगे। उसका एक कारण यह है कि आज जो कुछ हो रहा है, आज से डेढ़ सौ या दो सौ साल पहले जो कुछ हुआ था, यह उसका असर है। जब पहला स्टीम इंजन बना और जब पहला थर्मल पॉवर प्लांट बना, उससे जो आसमान में कार्बनडाइऑक्साइड के कण गये, उनका असर आज भी पाया जा रहा है। इसका अर्थ है कि जो आज हम कर रहे हैं, उसका असर डेढ़ सौ या दो सौ वर्ष तक रहेगा और जो कल करेंगे, उसका असर और भी ज्यादा रहेगा। इसलिए बहुत विचारणीय बात है कि यह जो हम इस पर्यावरण के संबंध में अपने निष्कर्ष निकालेंगे, वह इस बात को ध्यान में रखकर अभी बताया जा रहा है कि अगर औसत तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ गया तो उसके बहुत ज्यादा खतरनाक परिणाम होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कैटेस्ट्रॉफी इम्पैक्ट्स होने लगेंगे। किसी को पता ही नहीं लगेगा। अभी तो कुछ चीजें ज्ञात हैं लेकिन पर्यावरण के मामले में तब अज्ञात होने लग जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा। उसका कारण यह है कि मॉडलिंग के जितने हमारे तरीके हैं, वे तरीके आज की विशेष परिस्थिति को सामने रखकर बनाये गये हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ और अधिक अज्ञात तत्व आ गये तो फिर उसका निदान करना और भी कठिन होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि यह जो तीन आईपीसीसी की रिपोर्ट थीं और इसमें जो तीन सिनेरियो बताये गये हैं, उसमें यह कहा गया है कि शायद 5 डिग्री से अधिक तापमान के जाने के चांसेज 50 प्रतिशत से भी अधिक हैं। यह उम्मीद की जा सकती है कि 5 डिग्री से अधिक तापमान जा सकता है। यह बहुत खतरनाक बात है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि तापमान 3 डिग्री जाएगा या 5 डिग्री जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो इमीशंस हैं जिनके बारे में चिंता की जा रही है, किसी एक स्तर पर हमें उनको कायम करना है कि इसको कहीं रोका जाए और कैसे रोका जाए और कौन चीजें हैं जो इस तापमान को बढ़ा रही हैं। इस तापमान को बढ़ाने की सबसे बड़ी एजेंसी एनर्जी है, ऊर्जा है। तापमान को बढ़ाने में एनर्जी का 25 परेंसट, लैंड यूज और फॉरेस्टरी के अंदर अदल–बदल करें तो आठ परसेंट, एग्रीकल्चर का छः परसेंट, इंडस्ट्रियल प्रॉसेस का डेढ़ या दो परसेंट और वेस्ट का डेढ़ परसेंट कन्ट्रीब्यूशन है। आप इंडस्ट्रियल एनर्जी को डेढ़ समझ रहे हैं लेकिन इसमें ऊर्जा का ज्यादातर हिस्सा इंडस्ट्री के साथ है। ऊर्जा में कौन सबसे ज्यादा कन्ट्रीब्यूट कर रहा है? इसमें पुरानी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, जिनका 200 साल से औद्योगिकीकरण हो चुका है, वे इसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या केवल छः करोड़ है, यह इजिप्ट, नाइजीरिया, पाकिस्तान और वियतनाम, जिनकी संख्या 47 करोड़ है, से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ये अकेला देश दे रहा है।

न्यूयार्क में 19 मिलियन आदमी रहते हैं और 50 लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, जिनकी जनसंख्या 74 करोड़ है। एक अकेला न्यूयार्क शहर उनसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा तापमान बढ़ाने या पर्यावरण में परिवर्तन लाने का काम इन धनी देशों का है।

नीदरलैण्ड तो बोलिवीया, कोलम्बिया, पेरु, युरुग्वे और सैंट्रल अमरीका के साथ छोटे देशों की तुलना में अकेला ही सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। टेक्सास, अमरीका की एक स्टेट है, इसकी पापुलेशन दो करोड़ है, यह 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है। इस तरह से ये अकेली एक स्टेट सारे यूएसए का 12 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है। यह अफ्रीका और सब–सहारन रीज़न, जिनकी जनसंख्या 72 करोड़ है, से ज्यादा है। न्यूयार्क में 19 मिलियन आदमी रहते हैं और 50 लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, जिनकी जनसंख्या 74 करोड़ है। एक अकेला न्यूयार्क शहर उनसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा तापमान बढ़ाने या पर्यावरण में परिवर्तन लाने का काम इन धनी देशों का है। आप देखें कि आज स्थिति यह हो गई है कि 1.6 बिलियन यानी 160 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें 70 करोड़ लोग साउथ एशिया और सब–सहारन रीज़न में रहते हैं उनके पास एनर्जी नहीं है, बिजली नहीं है। ईस्ट एशिया में 22 करोड़ लोग रहते हैं। सब–सहारन अफ्रीका में 54 करोड़ बिना ऊर्जा के लोग रहते हैं। यह स्थिति ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब आप देखें कि कि कितने लोगों के पास बिजली का अभाव है, बिजली नहीं है। The number of people in India Living without access to electricity is around 500 million. हमें यहां हमेशा रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के आंकड़े मिलते हैं कि इतने गांवों में बिजली पहुंच गई। आप बिजली का मतलब यह समझते हैं कि तार लग गए और खंभे लग गए, तब तो जरूर मिल गई। लेकिन बिजली मिलती नहीं है। Electricity is not available: energy is not available. आप बार–बार कहते हैं कि ऊर्जा नहीं है तो विकास नहीं होगा। दुनिया में 1.4 बिलियन लोग हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की आधुनिक ऊर्जा सेवाएं नहीं हैं। यह दयनीय स्थिति है कि इनमें से छः मिलियन यानी एक चौथाई लोगों के पास बिल्कुल भी ऊर्जा स्रोत नहीं है। लेकिन यह ऊर्जा गई कहां? ये सब उन धनी लोगों ने ले ली है। दुनिया के आठ–दस बड़े देश हैं और कुल मिलाकर करीब बीस बड़े और छोटे विकसित देश हैं, जिनके पास सारी ऊर्जा है, सारे स्रोत हैं। इन्होंने प्राकृतिक स्रोतों पर कब्जा किया हुआ है इसलिए बाकी देशों में ऊर्जा का अभाव है।

महोदय, अब यह कहा जा रहा है कि ठीक है, ऊर्जा में तो गड़बड़ हो गई, पर्यावरण में विकृति आ गई लेकिन अब इसे ठीक करेंगे। अब ऐसा करते हैं कि आप अपने यहां पेड़ उगाइए, ज्यादा कार्बन पैदा कीजिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जार्ब हो जाए और हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाने दीजिए। हम आपको पैसा दे देते हैं, आप और पेड़ लगाइए। आप कार्बन डाइऑक्साइड एब्जार्ब कीजिए, आप सिंक बन जाइए और हम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। आजकल विकसित देश, कोपनहेगन और इससे पहले के सम्मेलनों में, संस्थाओं के सामने हमारी चिंताओं और समस्याओं को केवल इसी बात पर मूलतः आधारित करते हैं कि हमें ऊर्जा उत्पादन करने दीजिए। हमें अपना उत्पादन करने दीजिए, आप बाजार बने रहिये, हम बिजली पैदा करते रहें, आप उसे खरीदते रहिये। हम कार्बन डाइआक्साइड देते रहें, आप अपने यहां फॉरेस्टेशन करते रहिये। आपको विकास करने की जरूरत नहीं है, वह तो हम कर ही रहे हैं। हमारा विकास और आपका विनाश, ये दोनों साथ–साथ चलते रहेंगे। ये जो आज एक विशेष बात इस पर्यावरण के कारण आकर खड़ी हो गई है, इसे हमें समझने की जरूरत है। यह बहुत खतरनाक चीज है। मैं आपको यह भी कहता हूं कि अगर यह बात सच भी मान ली जाए कि हम अपने यहां ज्यादा फॉरेस्टेशन करके ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करें तो विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं कह सकता हूं कि कुछ दिनों के बाद जब एक सीमा से अधिक हमारे यहां कार्बन एब्जॉर्पशन हो जायेगा तो फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा। फिर उसकी एब्जॉर्पशन कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर वह एब्जॉर्पशन नहीं करेगा। यानी कुछ दिनों तक हमें पैसा दे देंगे, कुछ दिनों तक हमारे यहां कॉर्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्पशन होता रहेगा और उसके बाद हम फिर वही फटेहाल के फटेहाल बने रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। दरअसल पश्चिम का यह जो डेवलपमैन्टल मॉडल है, यह उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम है।

> *भारत वह देश है जहां ऋग्वेद से लेकर आज तक पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त पढ़कर उनको सुनाइए। हम आज से नहीं, हजारों साल से बोल रहे हैं – माता भूमि, पुत्रो पृथिव्या अहम।*

मुझे याद आता है जब देश आजाद हुआ था, तब महात्मा गांधी से किसी ने यह पूछा था कि अब आप आजाद हो गये हैं तो अंग्रेजों ने जिस तरह से अपना विकास किया है, क्या आप उसी तरह से अपना विकास करेंगे? तब महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा कि आधी दुनिया को लूटकर इंग्लैंड धनी बना है, कितनी दुनियाओं को लूटकर हिंदुस्तान धनी बनेगा। How Many Planets? आधी दुनिया को लूटकर अगर इंग्लैंड धनी बन सकता है तो इंग्लैंड के मुकाबले उस समय हमारी सात गुनी जनसंख्या थी तो कम से कम हमें साढ़े तीन दुनिया तो लूटनी पड़ेगी। आज जो स्थिति है, वह यह है कि अगर हर आदमी उसी तरह से विकास करना चाहे, यानी वैसा ही कार्बन फुट प्रिंट देना चाहे, जैसा कि डैवलप्ड कंट्रीज दे रहे हैं तो उसके लिए छः दुनिया लूटनी पड़ेंगी। कितनी लूट मचाई जाए, कितने लोगों को गरीब बनाया जाए, कितने सारे प्राकृतिक साधनों को लूटा जाए, कितना इमिशन दुनिया में दिया जाए। छः प्लेनेट्स कहां से लायेंगे, एक दुनिया तो बचानी मुश्किल है। विश्व के अलावा और रिसोर्सेज कहां हैं, उसी की खोज चल रही है। आज चंद्रमा में देखो, क्या मिल रहा है, मंगल में देखो क्या मिल रहा है। अब यह बताया जा रहा है कि और दूसरी दुनिया में जाकर रहिये, वे बहुत अच्छी हैं। वहां बहुत साधन मिलेंगे। जब मिलेंगे, तब मिलेंगे। हम अपनी दुनिया की बात कर रहे हैं। हमें इस दुनिया की बात करनी है, यहां क्या होगा? आने वाले सौ, दो सौ, तीन सौ सालों में क्या होगा, हमारी अगली पीढ़ी के लिए क्या होगा? यह सब कहना बहुत हास्यास्पद है कि आप उसी डैवलपमैन्टल मॉडल से विकास कर सकते हैं।

सभापति जी, मैं मंत्री महोदय और उनके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जब तक आपका विकास का यह मॉडल रहेगा, जब तक आप पश्चिमी तरीके से दुनिया का

विकास करने के लिए चलेंगे, तब तक पर्यावरण की समस्या हल नहीं होगी। मानव जाति के लिए उसके अस्तित्व की समस्या खड़ी हो जायेगी। आप देखिये सारी दुनिया में आजकल कैसा हाहाकार मचा हुआ है। उस वक्त एक विचित्र स्थिति पैदा होगी। दुनिया के 16 प्रतिशत लोग सारी दुनिया के 80 प्रतिशत संसाधनों पर, सारी दुनिया के उत्पादन पर और सारी दुनिया के उपभोग पर स्वामित्व रखते हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आधी दुनिया के पास पीने का पानी नहीं है। यदि ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो उससे क्या–क्या चीजें होंगी। उससे हमारे देश और विश्व के अंदर कितनी समस्याएं पैदा होंगी, उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं। पहली बात यह होगी कि यदि तापमान इसी तरह से बढ़ता गया तो ध्रुवों पर जो आइस जमा है, वह पिघल जायेगी। उसके क्या परिणाम होंगे। अब यह कहा जा रहा है कि जितने असैसमैन्ट्स थे, उससे दोगुने, तिगुने सी लैवल का राइज होगा। हमारे मुम्बई का क्या होगा, चेन्नई का क्या होगा, गोवा का क्या होगा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का क्या होगा, मालदीव्ज का क्या होगा, आइसलैंड का क्या होगा, हमारे पशुओं की प्रजातियों का क्या होगा, खेती का क्या होगा? आज भी कहा जा रहा है कि फूड प्रोडक्शन में कमी हो रही है। यह कमी अगले 10–20 सालों में 8 से 10 प्रतिशत हो जायेगी। और 2020 तक जाते जाते यह और ज्यादा हो जायेगी। देश की 51 प्रतिशत भूमि इससे प्रभावित होगी। हमारे पास आंकड़े हैं, दृश्य हैं और सैटेलाईट से चित्र आते हैं कि दुनिया की क्या हालत है? दुनिया के कितने हिस्से में रेगिस्तान हो रहा है, कितनी जगहों से वैजिटेशन गायब होता जा रहा है, पशु–पक्षी गायब होते जा रहे हैं, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के लोगों का कहना है कि दुनिया में डेंगू और मलेरिया बहुत तेजी से फैलेगा, डेंगू, मलेरिया और कालाज़ार के रोगियों की संख्या और अधिक बढ ज़ायेगी तो हमारे भारतवर्ष की क्या हालत होगी? आप दवाइयां नहीं दे सकते हैं, नई नई बीमारियों की दवाइयां इज़ाद करना मुश्किल होगा। आप पेटेंट कानून बनाने जा रहे हैं और जहां बना हुआ है, वहां आप कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर आपको कोलोनाइज करने की स्कीम चल रही है, उधर आपका कहां ध्यान है? अगर पर्यावरण के इस प्रभाव को नहीं रोका गया तो मुझे डर है कि विश्व के अंदर भयानक विभीषिका खड़ी हो जायेगी, दुनिया में संघर्ष खड़े होंगे, दुनिया के देशों के बीच में संघर्ष खड़े होंगे। एक विचित्र प्रकार की स्थिति विश्व में पैदा होगी। मुझे इस बात का भी खतरा लगता है कि अनाज, वनस्पति और जीव–जन्तुओं की स्पीसिज़ गायब हो जायेंगी। हालांकि अन्य लोग भी इस पर बोलेंगे अतः मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। आंकड़े आ रहे हैं जिससे चिन्ता पैदा होती है कि पर्यावरण के कारण मृत्यु ज्यादा होगीं, लोगों के सामने आवास की समस्या आ रही है, रिहैबिलिटेशन की समस्या आ रही है जो सारी दुनिया के सामने एक भयानक विभीषिका पैदा कर रहे हैं।

सारी दुनिया में आजकल कैसा हाहाकार मचा हुआ है। उस वक्त एक विचित्र स्थिति पैदा होगी। दुनिया के 16 प्रतिशत लोग सारी दुनिया के 80 प्रतिशत संसाधनों पर, सारी दुनिया के उत्पादन पर और सारी दुनिया के उपभोग पर स्वामित्व रखते हैं।

सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने हम सब सांसदों को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि भारत को क्या करना है,. भारत का क्या रुख है, उसका खुलासा किया गया है। मुझे खुशी है कि सासंदों को चिट्ठी लिखकर उनके विचार जाने गये। आपने कहा है "A shared vision for long term cooperative action including a long term global goal for emission reduction." कौन मान रहा है? लौंगटर्म कोआपरेशन को लोग नहीं मान रहे हैं , अमरीका मना करता है तो यह कौन सा लौंग टर्म ग्लोबल गोल मानने वाला है, यह विश्व की आर्थिक महाशक्ति बना हुआ है जिसके सामने हमने घुटने टेके हुये हैं। हम उससे क्या आशा कर सकते हैं कि लौंग टर्म गोल में हमारा साथ देगा, मुझे इसका यकीन नहीं? मुझे यकीन हो सकता था लेकिन मैंने एक विचित्र बात पिछले दिनों देखी। अमरीका में जब क्लाइमेट पर एक बिल पास हो रहा था तो उस समय एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति पॉल क्रुगमैन का एक लेख 'बिट्रेइंग दी क्लाइमेट' पर आया। जब बिल रखा गया तो वह पास हो गया लेकिन जो विरोधी थे, उन्होंने आगे बात कही। उन्हें कितनी प्रशंसा मिली, मैं उस लेख को पूरा नहीं पढूंगा लेकिन कुछ जरूर पढ़ना चाहूंगा। यह जून महीने की बात है।

"But if you watched the debate on Friday, you did not see people who have thought hard about a crucial issue, and are trying to do the right thing. What you saw, instead, were people who show no sign of being interested in the truth. They don't like the political and policy implications of climate change, so they have decided not to believe in it - and they'll grab any argument, no matter how disreputable, that feeds their denial."

Indeed, if there was a defining moment in Friday's debate in America, it was the declaration by Representative Paul Broun of Georgia that climate change is nothing but a 'hoax' that has been perpetrated out of the scientific community.

यह उनकी चिन्ता है और उनको बेहद प्रशंसा मिली। क्रुगमैन वह आगे कहते हैं –

"I would call this a crazy conspiracy theory, but doing so would actually be unfair to crazy conspiracy theorists. After all, to believe that global warming is a hoax you have to believe in a vast cabal consisting of thousands of scientists - a cabal so powerful that it has managed to create false records on everything from global temperatures to Arctic sea ice."

अगर यह उनका दृटिकोण है तो आगे उनसे क्या आशा करें कि वे किसी भी विकसित देश में और विकासशील देशों में जो पिछले 200 सालों से अपराध करते चले आ रहे हैं, वे उस अपराध की सजा से बचना चाहेंगे, उससे मुक्ति पाना चाहेंगे, प्रायश्चित करना चाहेंगे, उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं कि "Still, is it fair to call climate

denial a form of treason? Isn't it politics as usual? Yes, it is - and that's why it is unforgivable. Do you remember the days when Bush Administration officials claimed that terrorism posed an "existential threat" to America, a threat in whose face normal rules no longer apply? That was hyperbole - but the "existential threat" from climate change is all too real." इसमें सारे रूल्स लगने चाहिए। टैररिज्म का थ्रैट हो जाए तो सब रूल्स फेंक दो, क्लाइमेट चेंज की विभीषिका आये और सारा विश्व प्रभावित हो जाए, आपके अपराध से प्रभावित हो जाए और इसके लिए हमें दबाया जाए। इसके लिए हमसे कहा जाए कि आप इमिशंस कम कीजिए, इसके लिए हमसे कहा जाए कि आप अपनी विकास की रफ्तार को कम कीजिए। ये गहरे सवाल हैं और इसके ऊपर आपको बहुत चिंता के साथ बात करनी होगी। मेरा अपना ख्याल है कि हमें कोपनहेगन में इस बारे में बहुत डटकर अपनी बातें कहनी होंगी। अगर हम वहां दबे, अगर हम वहां थोड़े से भी झुके तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों का जीवन नष्ट करेंगे। हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के अपराधी होंगे, जैसे आज भी हैं। इन 60 सालों में भी हमने जो कुछ किया है, जिस रास्ते पर हम देश के विकास को ले गये हैं, भले ही हमारा इमिशन बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम अभी बचे हुए हैं। अगर आपने इस रास्ते को तेजी से पकड़ा तो जरा विचार कीजिए कि अगर इस देश का हर व्यक्ति उतना ही एमीशन करने लगे, जितना अमेरिकन प्रति व्यक्ति कर रहा है, वह हमसे 16–17 गुणा अधिक कर रहा है तो दुनिया की क्या हालत होगी, हमारी क्या हालत होगी? अगर अकेला बांग्लादेश ही उतना करने लग जाए तो क्या हालत होगी? क्या विकास का यह मॉडल सस्टेनिबल कंजप्शन दे सकता है, क्या यह सब लोगों को डिग्नीफाइड जीवन दे सकता है, क्या यह सब लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, दवाई आदि दे सकता है? अगर सिर्फ 16 परसेंट लोग आज सारी दुनिया के साधनों पर हावी हों, अगर दो बिलियन लोग दो डॉलर के ऊपर भी प्रतिदिन गुजारा नहीं कर पा रहे हों तो यह विकास का मॉडल हमें कहां ले जाएगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बारे में आप बहुत गंभीरता से विचार करें। हमारे विज्ञान के कुछ लोगों की अभी कांफ्रेसिज हुई थीं, उसमें विचार हुआ कि इसे आम जनता को कैसे समझाया जाए? उसने बहुत अच्छी बात कही। ये हैं मिस्टर जॉन रूकस्ट्रम, जो हमारे स्टॉकहोम एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं। वे कहते हैं, "The financial crisis happened because we allowed housing loans way beyond the stock levels that were available. Similarly, we are subsidizing our living standards to a level which the planet cannot afford." जितना आपके बैंक में पैसा नहीं था, उससे ज्यादा वहां आपने हाउसिंग के अंदर लोन दिये। नतीजा आपकी इकोनॉमी कॉलैप्स कर गयी। आप जितना पर्यावरण बर्दाश्त कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपका पर्यावरण कॉलैप्स कर जाएगा, आपका जीवन कॉलैप्स कर जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो उसी डेवलपमेंटल मॉडल से वहां इकोनॉमिक क्राइसेस आये। उसी कंजंशन की तरफ जाने से, उपभोक्तावाद के कारण वहां क्राइसिस आयी, अर्थव्यवस्था डूब गयी। उसी उपभोक्तावाद के कारण जलवायु का प्रदूषण शुरू हुआ, यह प्राकृतिक साधनों का निर्बाध शोषण शुरू हुआ। इसका नतीजा हुआ कि आज हमारे सामने पर्यावरण का संकट है, मानवता का संकट है, मानव के अस्तित्व का संकट है। पहली बात सोचने की यह है कि जिस अर्थव्यवस्था ने, जिस टैक्नोलॉजी ने, जिस उत्पादन की व्यवस्था ने, जिस मार्केट सिस्टम ने, मार्केट पर डिपेंडेंस ने आज दोनों तरफ, आर्थिक और क्लाइमेटिक यह हालत पैदा की है। उसके बारे में गहराई से वहां विचार होना चाहिए। The fundamentals of globalisation and Western guidelines to development are flawed. They are wrong. ये ठीक नहीं हैं और वे बदलने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बारे में मैं बहुत पहले से बोलता चला आ रहा हूं। पिछले दिनों मैंने कई स्थानों पर इसके लिए आगाह किया था और मुझे खुशी है कि अब उसे हमारे जो वर्ल्ड बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष मिस्टर वोल्फोंसन ने स्वीकार किया है कि यह दुनिया इनबैलेंस हो गयी है। उन्होंने सितम्बर 2003 में वर्ल्ड बैंक के अपने गवर्नर्स की मीटिंग को संबोधित करते हुए एक बात कहीः–

अगर पर्यावरण के इस प्रभाव को नहीं रोका गया तो मुझे डर है कि विश्व के अंदर भयानक विभीषिका खड़ी हो जायेगी, दुनिया में संघर्ष खड़े होंगे, दुनिया के देशों के बीच में संघर्ष खड़े होंगे। एक विचित्र प्रकार की स्थिति विश्व में पैदा होगी। मुझे इस बात का भी खतरा लगता है कि अनाज, वनस्पति और जीव–जन्तुओं की स्पीसिज़ गायब हो जायेंगी।

"Last week, in Paris, I met youth leaders who represented organisations with more than 120 million members worldwide."

(DISSCUSSION RE: IMPACT OF CLIMATE CHANGE-Contd.)

श्रीमन् मैं बता रहा था कि श्री वोल्फोंसन ने यह सवाल उठाया था, जब उन्होंने 2003 में दुबई में वर्ल्ड बैंक के गवर्नर्स की कांफ्रेंस को सम्बोधित किया था। तब उन्होंने यह कहा थाः

"Last week, in Paris, I met with youth leaders who represented organizations with more than 120 million members worldwide."

और तब उन्होंने कहा कि इन लोगों ने उनके सामने जो बात कही, वह बड़ी महत्वपूर्ण है।

"But, they also said, we do not want a future based only on economic considerations-there must be something more. They challenged us about values and beliefs….To respond to them, we must address the fundamental forces shaping our world. In many respects, they are forces that have caused imbalance.This world is out of balance."

यह विश्व असंतुलित विश्व है, यह वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कह रहा है।

"In our world of six billion people, one billion own 80 percent of global gross domestic product (GDP), while another billion struggle to survive on less than a dollar a day. This is a world completely out of balance- फिर आगे कहते हैं: Mr. Chairman, it is time to take a cold, hard look at the future. Our planet is not balanced. Too few control too much, and too many have too little to hope for-too much turmoil, too many wars, too much suffering."

फिर आगे कहते हैं:

"We all share one planet. It is time to restore balance to the way we use it. Let us move forward to fight poverty, to establish equity, and to assure peace for the next generation."

लेकिन वे खुद कह रहे हैं कि 80 परसेंट जी.डी.पी. सारी दुनिया के सिर्फ 16 परसेंट लोग कर रहे हैं। Where is equity? Where is inclusive growth? आपके इस देश में इन्क्लूसिव ग्रोथ कहां है और क्लाइमेट चेंज तो इस इन्क्लूसिविटी को बिल्कुल नष्ट कर देगा, एक्सक्लूसिविटी बढ़ा देगा, अगर यहां सिर्फ 20 परसेंट लोग डैवलप्ड हैं और 80 परसेंट लोग अंडर डैवलप्ड हैं, अनडैवलप्ड हैं। आपकी रिपोर्टस ऑफ्टर रिपोर्टस कह रही हैं कि बिलो पावर्टी लोगों की संख्या बढ रही है, आपके रिसोर्सेज़ घट रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी घट रही है तो आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? कौन इक्विटी लाना चाहता है? क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज इक्विटी लाना चाहते हैं? क्या ये दुनिया को बराबरी से देखना चाहते हैं? आज कहा जा रहा है कि प्लेनेट के ऊपर जो सारा एटमास्फियर है, वह दुनिया की संपत्ति है। उसे सबको शेयर करना चाहिए। आज तक इन दो सौ सालों में तो सिर्फ आपने शेयर किया है। आपने जो अपराध किए हैं, उसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहते, दंडित नहीं होना चाहते। दंडित तो दूर की बात, प्रायश्चित भी नहीं करना चाहते, उल्टा हमें उपदेश देते हैं।

मंत्री जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह जो आज सवाल है, सारी दुनिया के ऊपर सिर्फ जलवायु से संबंधित नहीं है, अपितु यह व्यापक सवाल है। यह डेवलपमेंटल मॉडल का सवाल है, यह टेक्नॉलाजी का सवाल है, यह मार्केट को रिप्लेस करने का सवाल है। क्या मार्केट फोर्सेज सारी दुनिया को चलायेंगे? क्या प्रोडक्शन की टेकनिक्स मार्केट ओरिएंटेड होंगी? आपने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आप चाहते हैं enchanced action on technology development and transfer to support action on mitigation and adaptation. कौन टेक्नॉलाजी आपको देगा? हमारे विदेश मंत्री जी जो पढ़ रहे थे, इसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री जी की अमेरिकी राष्ट्रपति महोदय से बातें हुयी हैं। उसमें वह कहते हैं कि Prime Minister and President Obama announced the launch of a Clean Energy and Climate Change Initiative. The Initiative includes cooperation in wind and solar energy, second generation bio-fuels, unconventional gas, energy efficiency and clean coal technologies including carbon capture and storage.

मैं आपसे पूछना चाहता हूं where are the patent laws? ये टेक्नॉलाजी आपको मुफ्त में नहीं देंगे, उसकी कीमत वसूल करेंगे। पहले हमारे यहां पोल्यूशन करेंगे, फिर उस पोल्यूशन को दूर करने के लिए हमें टेक्नॉलाजी दिखायेंगे और उसकी कीमत वसूल करेंगे। इसलिए पहली बात यह है कि we must change the technology. आज की टेक्नॉलाजी हाई एनर्जी, हाई कैपिटल टेक्नॉलाजी है। एनर्जी इसके अंदर सबसे बड़ा दोषी है। इसलिए we must go to the low energy and low capital technologies. हमारे देश को इस मामले में अनुसंधान करना चाहिए। सोलर एनर्जी के संबंध में मुझे बहुत आशा है कि अगर उसको ठीक ढंग से काम कराया जाएगा, तो हमारे देश के लिए बहुत आत्मनिर्भर ऊर्जा देने वाली, क्लीन ऊर्जा देने वाली एक शक्ति है। दुनिया की सारी ऊर्जा सूर्य से आती है। सूर्य से सबसे अधिक ऊर्जा प्रति स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश को मिलती है। सोलर इनर्जी हमारी सबसे ज्यादा है। आप उसका उपयोग करिए, लेकिन नहीं करेंगे। उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। आप ध्यान किस तरफ देंगे, बाहर से क्रूएड ऑयल मंगाने के लिए, गैस बेस्ड, थर्मल बेस्ड, आप कहां से थर्मल चलाएंगे? जो आपके थर्मल बेस्ड प्लांट्स आज चल रहे हैं, उसके लिए आप कितने टन कोयला इंपोर्ट करेंगे? अगर वर्ष 2030 में देखेंगे, तो 14 सौ मिलियन टन आपको कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप कहां से करेंगे?

मेरा सवाल यह है कि आप इस पर विचार करिए। पूरे डेवलपमेंटल मॉडल को बदलिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बजाय, सस्टेनेबल कंजंशन हो। आज ऐसा विकास का मॉडल चाहिए जो दुनिया के हर आदमी को एक रीजनेबल डिग्निफाइड लिविंग की अपार्चुनिटी दे सके। उसको मकान, कपड़ा, दवाई, भोजन और आगे आने की सुविधायें सभी तरह से हों। जो मॉडल आज दुनिया में ऐसी विभीषिका पैदा कर रहा है, उसे नकार दीजिए। कोपेनहेगेन में डटकर कहिए कि आपके डेवलपमेंटल मॉडल से सारी दुनिया को नुकसान हुआ है, दुनिया में गरीबी बढ़ी है, बीमारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, हाहाकार बढ़ा है, पानी और अनाज का संकट बढ़ा है। इसको बदलिए।

भारत को इस मामले में नेतृत्व करना चाहिए। भारत वह देश है जहां ऋग्वेद से लेकर आज तक पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त पढ़कर उनको सुनाइए। हम आज से नहीं, हजारों साल से बोल रहे हैं – माता भूमि, पुत्रो पृथिव्या अहम। एम्स्टर्डम में पांच–छः साल पहले वैज्ञानिकों ने यही कहा है कि this earth is a living system; it is not a dead spaceship. यह स्पेसशिप नहीं है कि जिसमें हम चक्कर लगा रहे हैं। It is a living planet. इसके अंदर वही सब तत्व हैं, जो एक लिविंग आर्गेनिज्म में होते हैं। जैसा मेरा जीवन है, वैसा ही इस प्लैनेट का जीवन है। इसे बिल्कुल आप एक निर्जीव प्राणी समकर, निर्जीव और इनर्ट समझकर इसके साथ व्यवहार मत कीजिए, इसे चैतन्यमयी मां मानकर इसके साथ व्यवहार कीजिए। अगर आप पृथ्वी को अपनी मां मानते हैं, जैसा कि हम भारतवासी मानते हैं, तो फिर कोई अपनी मां के साथ बलात्कार नहीं कर सकता। मां का दूध तो पिया जा सकता है, पर मां का खून नहीं पिया जा सकता है। इस पश्चिमी मॉडल ने पृथ्वी के पर्यावरण का खून पीने का एक शोषणकारी मॉडल दिया है। हम उसको नकारते हैं। हम दुनिया से कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए। हमारी

महंगाई-अपराध पर भाजपा ने भरी हुंकार

केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम : राजनाथ सिंह

सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही महंगाई और प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार व अपराधों पर भाजपा ने केंद्र और उप्र सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। दोनों सरकारों के विरोध में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजनाथ सिंह ने 10 जनवरी को साहिबाबाद में सभा की। भाजपाईयों ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर कोसा।

राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। रोजमर्रा की जरुरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार जमाखोरों को फायदा पहुंचाने के लिए पहले ही चीनी के दामों के बढ़ने की घोषणा कर देते हैं। वह दिन दूर नहीं जब लोगों के मुंह से निवाला भी छिन जाएगा। उन्होंने केंद्र की कांग्रेस सरकार को कोसते हुए कहा कि आजादी के कई साल बाद भी भारत की गिनती दुनिया के गरीब देशों में होती है। इतिहास गवाह है कि जब–जब कांग्रेस की सरकार रहीं तब–तब महंगाई बढ़ी है। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराधों और भ्रष्टाचार पर प्रदेश की बसपा सरकार

को जमकर कोसा। श्री सिंह ने कहा कि थानों में जनता को बेइज्जत किया जाता है और अपराधियों व पैसे वालों को इज्जत दी जाती है। प्रदेश के हालात खराब हैं। आमलोग घरों में भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश में रिश्वत का खुला खेल चल रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में बसपा और सपा की सरकारों और उनके मुखियाओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। दोनों पार्टी के मुखियाओं पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के भी आरोप लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुखिया ही ईमानदार न हो तो प्रदेश के अफसरों से ईमानदारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि अपने पूरे कार्यकाल में उन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जिंदगी में अगर कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो वे राजनीति से संन्यास लेकर कभी जनता के सामने नहीं आएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य में गैर भाजपाई सरकार होने से वे क्षेत्र में विकास कार्य कराने में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

मायावती सरकार गाजियाबाद में महज इसलिए विकास नहीं करा रही हैं कि यहां से भाजपा के राजनाथ सिंह सांसद चुनाव जीते हैं। श्री सिंह ने कहा कि अगर केंद्र या राज्य में उनकी सरकार होती तो गाजियाबाद में विकास कार्यों की झड़ी लगा देते। उन्होंने कहा कि वह चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि सरकार और अफसरों ने भेदभाव कर गाजियाबाद की जनता को परेशान किया तो लाखों समर्थकों के साथ गाजियाबाद की सड़कों पर उतरेंगे।■

➡ आवाज होनी चाहिए कि पश्चिमी लोगों को अपना कंजप्शन कम करना चाहिए, बदलना चाहिए। जिन लोगों की उन्होंने लूट कर अपना सारा जीवनयापन किया है, उसका कम से कम ब्याज तो वापस कर देना चाहिए, अगर मूल वापस नहीं कर सकते हैं तो। उन्हें कहना चाहिए कि आपको पहले शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने सारी दुनिया पर अत्याचार किया। अब यह अत्याचार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा।

दुनिया के साढ़े पांच बिलियन लोग डेढ़ मिलियन लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जलवायु के, पर्यावरण के सवाल ने आज मौका दिया है कि भारत उन तमाम बेसहारा लोगों का, उन तमाम हाहाकार मचाते लोगों का नेतृत्व करे। आपको अवसर मिला है। मुझे खुशी होगी यदि प्रधान मंत्री जी वहां जाएं और दुनिया के सामने यह बताएं कि भारत बेसहारा लोगों का नेतृत्व करेगा। भारत सारी दुनिया में इक्विटी लाएगा, भारत सारी दुनिया के लोगों को एक रीज़नेबल लैवल ऑफ डिगनिफाइड ऐग्ज़िसटैंस के लिए रास्ते दिखाएगा। मुझे खुशी होगी, हम उसमें आपका साथ दें। लेकिन यदि आपने डेवलपमेंटल मॉडल का वही राग अलापा और आप उन्हीं के साथ चलते रहे और उसी में कुछ सुधार करते रहे, तो कुछ नहीं होगा।

मुझे आपसे एक और बात व्यक्तिगत कहनी है। मुझे यह बताया गया है कि आपने अमरीका में किसी भाषण में यह कहा था कि Yankees go home but take us with you. अगर यह सच है तो मुझे शर्म है, अगर यह गलत है तो मैं सुनना चाहूंगा। यांकी अपने देश जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे दुनिया में कहीं भी जाएं, मगर आप उनके साथ मत जाइए। इस विभीषिका को लाने वालों के साथ आप अपने को मत जोड़िए, आप भारत के साथ रहिए, आप उनके साथ मत जाइए।

इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। ■

महंगाई : कांग्रेस की काली करतूत

çdk'k tkoMsdj

vk ज जनता बेहाल है। बढ़ती कीमतों से वह परेशान है। जीवनावश्यक खाद्यान्नों के दामों में मानों जैसे आग लगी है। कीमत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। रोज की सुबह बढ़ते दामों के समाचार पढ़कर ही शुरूआत होती है। कल के दामों के हिसाब से पैसे लेकर बाजार में जाए, तो गणित गड़बड़ा जाता है। 100 रूपए प्रति किलो अरहर की दाल, 80 रूपए प्रति लीटर तेल, 44 रूपए प्रति किलो चीनी, 20 रूपए प्रति किलो आटा, चाय पत्ति 200 रूपए प्रति किलो, पैट्रोल 45–50 रूपए प्रति लीटर और डीज़ल 32–38 रूपए प्रति लीटर यह सब मानों अजब देश की गजब कहानी है। किसी ने सपने में भी इतने दाम होने के बारे में नहीं सोचा होगा।

महंगाई के अनेक गंभीर परिणाम हैं। सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 70 फीसदी लोगों की आय प्रतिदिन 20 रूपए से कम है। ऐसे में गरीब तबके के लोग इस महंगाई के दौर में क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे? पहले से अपने देश में कहा जाता है, "दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ"। लेकिन, अब दाल–रोटी खाना ही गरीब के लिए मुश्किल हो गया है। मध्यम वर्ग के घरों से भी सब्जी, फल, दूध गायब हो रहा है। महंगाई लोगों की वास्तविक आय को घटाती है। जीवन यापन पर विपरीत परिणाम डालती है। गरीब वर्गों में कुपोषण बढ़ता है। महंगाई में ऐसी आग क्यों लगती है?

अर्थशास्त्र के अनुसार वस्तुओं दाम तभी बढ़ने चाहिए जब उसकी आपूर्ति कम होगी। और अगर आवश्यकता से ज्यादा आपूर्ति होगी तब दाम घटते है। अर्थशास्त्र में इसी को "मांग–आपूर्ति का सिद्धांत" कहते है। लेकिन, अपने देश में लगता है यह सिद्धांत भी काम नहीं करता है। आपूर्ति ज्यादा होने पर भी दाम बढ़ते है। ऐसा उल्टा–पुल्टा क्यों होता है?

कांग्रेस सत्ता में आई की महंगाई बढ़ी

इसके अनेक उत्तर है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन, लोगों का यह अनुभव है कि जब–जब कांग्रेस सत्ता में आई है महंगाई बढ़ती है और जब–जब भाजपा की सरकार आई है महंगाई घटती है।

सन् 1970 से महंगाई बढ़ने लगी है। लोगों का जीना हराम हुआ। तब कांग्रेस सत्ता में थी। 1977 में जनता सरकार आई और महंगाई गायब हो गई। लोगों के लिए यह अनुभव चमत्कार जैसा ही था।

सन् 1980 में कांग्रेस सत्ता में आई और फिर महंगाई बढ़ने लगी। 1989 तक लगातार महंगाई बढ़ती ही रही। लोग बेहद परेशान हुए। 1989 में सत्ता बदलते ही महंगाई एकदम कम हो गई।

सन् 1991 में कांग्रेस फिर सत्ता में आई और फिर महंगाई की कहानी शुरू हो गई। महंगाई को झटका लगा तभी जब श्री अटल जी ने 1998 में सत्ता संभाली। 1998 से 2004 तक इन छह वर्षों में महंगाई की चर्चा भी नहीं हुई। बाजार में सभी वस्तुओं का भंडार लबालब था। सरकारी गोदाम भी भरे हुए थे और बाजार में प्रत्येक वस्तु आसानी से उपलब्ध थी। राशन और बाजार के दामों में ज्यादा अंतर नहीं था। आज भी लोग याद करते है कि महज छह साल पहले जो दाल 30 रूपए में मिलती थी, अब 100 रूपए की हो गई है। 2004 में तेल 35 रूपए था, आज 80 रूपए हो गया है। श्री अटल जी के समय में आटा 10 रूपए था, आज 20 रूपए हो गया है। एनडीए के समय में चावल 10 रूपए था, आज 40 रूपए हो गया है। भाजपा की सरकार में चाय पत्ति 100 रूपए में मिलती थी, अब 200 रूपए हो गई। उस समय पेट्रोल 30 रूपए और डीज़ल 20 रूपए में मिलता था, आज पेट्रोल के दाम 45–50 और डीज़ल के 32–38 रूपए हो गए। बेसन जो 20 रूपए में मिलता था, आज उसी के लिए 60 रूपए चुकाने पड़ते है।

दो सरकारों की यह दो कहानियां है। आज जो महंगाई बढ़ी है इसका कारण कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की नीतियां है। कांग्रेस सट्टोरियों, सट्टेबाजों, मुनाफाखोरों और मील मालिकों की चिंता करती है। किसान को भी मारती है और ग्राहक को तो लूटती ही है। कांग्रेस चुनाव में वोट किसान और ग्राहक से लेती है, लेकिन सत्ता में आते ही सट्टोरियों, मुनाफाखोरों और मील मालिकों को फायदा पहुंचाने की नीति अपनाती है। इनकी मिलीभगत का नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। जनहित विरोधी कांग्रेस की नीतियों का पर्दाफाश हम करेंगे। लेकिन, एक बात साफ है कि जब–जब कांग्रेस सत्ता में आती है महंगाई बढ़ती है और जब–जब भाजपा सत्ता में आती है तब–तब महंगाई गायब होती है।

मीठी चीनी की कड़वी कहानी

उदाहरण के तौर पर अभी चीनी के दामों में जो आग लगी है, उसके कारण अगर समझेंगे तो कांग्रेस और महंगाई का क्या नाता है इसकी पोल खुल जाएगी। देश को हर साल 220 लाख टन चीनी की जरूरत है। इस साल देश में 240 लाख टन चीनी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में चीनी के दाम बढ़ने नहीं चाहिए। लेकिन बढ़ रहे है। जनवरी 2010 के पहले 10 दिनों में दाम 10 रूपए प्रति किलो बढ़े। हां, यह सही है कि पिछले और इस वर्ष में गन्ने की खेती कम हुई है और गन्ने की उपलब्धता में कमी आई है। लेकिन, हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2 साल पहले जब किसान 120 रूपए प्रति क्विंटल दाम की मांग कर रहा था, तब यूपीए सरकार ने देशभर में आंदोलनकारी किसानों को दाम देने की बजाए उन पर लाठियां

बरसाई। गन्ने की खेती किसान के लिए नुकसानदायी हो गई। और इसके परिणामस्वरूप किसानों ने गन्ने की बजाए दूसरी फसलों की ओर रूख किया।

महंगाई का असली गणित लोगों को पता होना चाहिए। इस साल जो चीनी हम 44 रूपए में खरीद रहे हैं, वह पिछले साल की निर्मित है। पिछले साल किसानों को 160 रूपए दाम मिला था। चीनी का निर्माण, यातायात, विभिन्न कर, मील मालिक–थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी इन सबका मुनाफा मिलाकर भी यह चीनी 25 रूपए में बाजार में मिलनी चाहिए। यह स्थापित गणित है। लेकिन, सरकार और सटोरिए तथा मुनाफाखोरों की अभद्र मिलीभगत के कारण जो चीनी 25 रूपए में मिलनी चाहिए, वह आज 44 रूपए में मिल रही है।

इस सरकार की हद तो यह है कि दाम कम करने की बजाए दाम कैसे बढ़ेंगे यह बताने की होड़ मंत्रियों में लगी है।

यूपीए सरकार मार्च 2009 तक यह बताती रही कि देश में चीनी का अपार भंडार है और 2 साल तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सरकार ने चीनी निर्यात की इजाजत दी। 48 लाख टन चीनी 12 रूपए प्रति किलो की दर से निर्यात भी हो गई। अब पिछले 6 महीनों से सरकार को लगा कि चीनी की कमी होगी अब आयात करने का निर्णय किया। और कैसी विडंबना है कि आज वही चीनी 30 रूपए प्रति किलो की दर से आयात हो रही है। कुल 70 लाख टन चीनी आयात हो रही है।

यह नीति नहीं घोटाला है। अगर सही जांच होगी तो कांग्रेस सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। चीनी की कमी अचानक एक दिन में नहीं होती। गन्ने की कितनी बुआई होती है यह सरकार को एक साल पहले पता होता है। लेकिन, यह सरकार है कि जिसकी नीति निजी हित और भ्रष्टाचार है।

एक और विडंबना देखिए, यह विदेशी ग्राहक को 12 रूपए में चीनी बेचती है और देश के ग्राहकों को 44 रूपए में परोसती है।

आसमानी नहीं सुल्तानी है

मांग–आपूर्ति सिद्धांत के विपरीत अगर देश में महंगाई बढ़ रही है तो उसका कारण सरकार नीतियां है।

श्री अटल जी के समय सरकार किसान से गेहूं और चावल की खरीद करती थी। खाद्य निगम के सारे भंडार और गोदाम पूरे भरे थे। इससे सरकार दो काम कर सकी। पहले तो 4 करोड़ गरीब परिवारों को 35 किलो अनाज 2/– और 3/– रूपए की कम कीमत पर देने का एतिहासिक फैसला सरकार ने किया। यह केवल घोषणा मात्र नहीं थी, इस पर अमल भी हुआ। इससे गरीब को खाद्य सुरक्षा मिली। कुपोषण समाप्त हुआ और उसको बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, जब कभी बाजार में दाम बढ़ने लगते थे, तब सरकार तुरंत हरकत में आकर अपने अपार भंडार से गेहूं या चावल बाजार में सीधे लाते थे। जिससे तुरंत दाम घटते थे और जनता महंगाई से बचती थी। सरकार अगर जनहित को ध्यान में रखकर काम करती है तो ऐसे निर्णय होते है।

लेकिन, कांग्रेसनीत यूपीए सरकार आते ही नाम की ही तरह सब उल्टा–पुल्टा हो गया। सरकार ने निजी कम्पनियों को किसानों से अनाज खरीदने की मोहलत दी। कारगिल, मोन्सेंटों जैसी विदेशी तथा रिलांयस, अडानि जैसी देशी कम्पनियों ने किसान को चार–आठ आने ज्यादा दाम देकर बहुत मात्रा में अनाज खरीद लिया। यूपीए सरकार के पहले चार साल सरकारी गोदाम खाली रहे और निजी गोदाम भरे रहे। फिर जो होना था वही हुआ। निजी गोदामों में भंडारण होता रहा बाजार में कृत्रिम कमी आई और दाम बढ़ने लगे। सरकारी गोदाम खाली होने से वह बाजार में प्रभावी रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकी, जिससे कीमतों को लगाम लगाया जा सकता था। सरकारी गोदाम खाली रहने से गरीब को भी 35 किलो प्रति माह अनाज मिलने की बजाए 15–20 किलो मिलने लगा। उसको भी बाजार में आना पड़ा और कीमतों में आग लगी। देखने की बात है कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता में भारी कमी आई है। सरकार की नीतियों के कारण जहां प्रति व्यक्ति उपलब्धता 186 किलो थी वह आज मात्र 152 बनकर रह गई है।

महंगाई के लिए सरकार की नीतियां कैसे जिम्मेवार होती है इसका यह एक सबूत है। सरकार की नीतियां बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ाती या घटाती है। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की नीतियां जन–विरोधी होने के कारण यह महंगाई बढ़ रही है।

किसान मर रहा है, ग्राहक लूटा जा रहा है

महंगाई की चर्चा में कांग्रेस हमेशा तर्क देती है कि उनकी सरकार ने कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया और इस कारण थोड़ी सी महांगई लाज़मी है।

लेकिन, यह सच नहीं है।

पहला, पिछले 6 साल में कृषि के लागत मूल्य में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। बीज, खाद, दवा, पानी, बिजली, डीज़ल, पशु खाद्य ऐसे कृषि लागत के हर घटक के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। खाद की ऐसी दुर्दशा हुई है कि खाद है कि जो मिलता नहीं। दुकानदार किसान को महंगी दवा खरीदने के एवज में ही खाद देता है यह सब किसानों का अनुभव है। मिश्र खाद की ऐसी किल्लत जानबूझकर तैयार की है कि खुले बाजार में यह नहीं मिलता लेकिन, काला बाजार में उपलब्ध होता है। किसानों ने खाद का ऐसा संकट पहले कभी अनुभव नहीं किया। यह कांग्रेस सरकार की देन है। विदेशी कम्पनियां हर साल बीज के नए–नए नमूने लाती है और किसानों से ज्यादा दाम एंठती है। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के चलते देशभर में बिजली की किल्लत है और किसान उसका भुग्तभोगी है। डीज़ल के दाम 20 रूपए से 32–38 रूपए करने का पाप भी इसी कांग्रेस सरकार का है। कांग्रेस सरकार ने दवा के दाम बेतहाशा बढ़ाने की छूट विदेशी कम्पनियों को दे रखी है, जिससे किसान मर रहा है। जब लागत के दाम इतनी मात्रा में बढ़ेगें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में होने वाली थोड़ी वृद्धि किसान को क्या न्याय देगी? इसलिए, कांग्रेस का यह दावा खोखला है। कागज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी हुई वह बढ़ती लागत खा गई। किसान को कोई मुनाफा नहीं हुआ इसलिए, वह हर साल फसल बदलने को मजबूर हुआ है। अगर सचमुच किसान को बहुत अच्छे दाम मिलते तो कर्ज के बोझ में हजारों की तादाद में वे आत्महत्या नहीं करते।

दूसरा, यह सरकार अगर चाहती तो स्वामीनाथन फार्मूला अपनाकर किसान को न्याय दे सकती थी। एनडीए सरकार

में जब श्री राजनाथ सिंह मंत्री थे तो उन्होंने स्वामीनाथन कमिशन की नियुक्ति की थी। किसानों को जब तक लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, तब तक कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण भारत का उदय नहीं होगा, यह समझते हुए इस कमिशन की नियुक्ति हुई। स्वामीनाथन कमिशन ने किसान को न्याय देने के लिए एक लाभकारी मूल्य तय करने का एक क्रांतिकारी फार्मूला दिया है। इसके तहत समर्थन मूल्य के बजाए किसान लाभकारी मूल्य का हकदार है। "लाभकारी मूल्य = लागत का खर्चा + 50 फीसदी", यह वह फार्मूला है, जो किसान को मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस फार्मूले को लागू करने के लिए कांग्रेस नीत यूपीए सरकार पर लगातार दबाव बनाया है लेकिन, अभी तक किसान के इस हक को सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। किसान का स्थायी हित कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है। सरकार ने स्वामीनाथन फार्मूला अपनाने की बजाय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की जगह उचित मूल्य (FRP) ऐसा नाम बदलने का खेल खेला। किसान को मारने का अपना मिशन जारी रखा।

तीसरा, इस सरकार की नीतियों की विडंबना देखो, देश के किसानों को जब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 800 रूपए दिया जा रहा था, तब विदेशी किसान को 1600 रूपए दाम देकर गेहूं का आयात हो रहा था। पिछले साल अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य देशी किसान के लिए 23 रूपए है, जबकि विदेशी किसान को 56 रूपए दाम देकर आज दाल का आयात हो रहा है। पिछले साल माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में जब एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिला तो उसने मांग की कि धान को 1000 रूपए समर्थन मूल्य देना चाहिए। तब प्रधानमंत्री ने कहा, "इतना दाम देंगे तो चावल की कीमत बढ़ेगी"। आज वास्तविकता क्या है? किसान को धान के लिए 10 रूपए मिल रहे हैं और ग्राहक को चावल के लिए 40 रूपए चुकाने पड़ रहे हैं।

चौथा, अगर कृषि का विकास होना है तो पानी की सुरक्षित उपलब्धता जरूरी है। आजादी के 63 साल बाद देश की केवल 40 फीसदी खेती को सिंचाई का लाभ होता है। किसान को न्याय देने का यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सिंचाई का विस्तार न करने का यह पाप कांग्रेस का है।

पांचवा, कांग्रेस के एजेंडे में किसान का हित नहीं है। अभी सम्पन्न हुए संसद सत्र की शुरूआत में कांग्रेस सरकार ने गन्ना कीमत के बारे में एक अध्यादेश लाई। अभी तक राज्य सरकार किसान के लिए न्यायपूर्ण कीमत को घोषित करने का अधिकार रखती थी और मील मालिकों को उसी कीमत पर गन्न खरीदना पड़ता था। लेकिन, इस विचित्र अध्यादेश से सरकार ने यह घोषित किया कि अगर राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत घोषित करती है तो फर्क की रकम राज्य सरकार को चुकानी पड़ेगी। कैसा है यह कांग्रेस का खेल? गन्ना खरीदेगा मील मालिक, चीनी बनाएगा मील मालिक, चीनी बेचेगा मील मालिका, मुनाफा कमाएगा मील मालिक और रकम चुकाएगी राज्य सरकार। इस काले अध्यादेश का जमकर विरोध हुआ क्योंकि इसके रहते फिर किसान को न्यायपूर्ण कीमत मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। किसानों और सभी विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया। संसद में और संसद के बाहर सबने घेरा तभी इस सरकार ने काले अध्यादेश को वापस लिया।

लेकिन, वापस लेते समय भी एक खेल सरकार ने कर ही दिया। आज तक मील के मुनाफे में किसान 50 फीसदी का हकदार था। किसान के इस हक को सरकार ने हटा दिया। इसके लिए हास्यास्पद तर्क दिए गए। सरकार द्वारा यह कहा गया कि मील मालिक किसान को मुनाफा नहीं देते, इसलिए हमने इस विधि को हटा दिया। सरकार का काम होता है कि जो विधि किसान के हित में है उस पर अमल हो। अगर मील मालिक किसान को मुनाफे का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे मील मालिकों को सजा दे। लेकिन, इसके बदले सरकार ने किसान के हित वाली इस विधि को ही हटा दिया। इस सरकार के किसान विरोधी और निहित स्वार्थों से मिलीभगत का इससे और कारगर सबूत क्या हो सकता है?

नाच ना जाने आंगन टेढ़ा

सरकार महंगाई को रोक नहीं सकती तो अब बहाने ढूढ़ने में लगी है। एक बहाना यह है कि राज्य सरकार भंडारण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और दूसरा यह बयान कि एनडीए के समय भंडारण के नियम बदले। दोनों तर्कों की वास्तविकता देखनी चाहिए। आज की आवश्यकता के अनुसार नीति तय करना केन्द्र सरकार का काम है। 6 साल सत्ता में रहने के बाद भी एनडीए के नाम का रोना रोना खुद के निकम्मेपन को कबूल करने जैसा है। एनडीए के समय में अभाव नहीं था पर्याप्त उपलब्धता थी। सरकारी गोदाम भरे थे। समय की आवश्यकता के अनुसार उस समय सरकार ने निर्णय लिए। अगर आज स्थिति बदली है तो समयोचित निर्णय करने को किसने रोका है? लेकिन, सरकार बहाने बनाना चाहती है। खुद की जिम्मेवारी से बचना चाहती है। और इसलिए कभी एनडीए को, कभी राज्य सरकारों को जिम्मेवार समझने का खेल खेल रही है।

भारत में हो रही महंगाई के लिए यह सरकार दुनिया को जिम्मेवार बता रही है। श्रीमती इंदिरा जी के शासन में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वर्गीय जयप्रकाश जी ने बिगुल बजाया तब उन्होंने कहा था कि दुनियाभर में भ्रष्टाचार है। यही कुतर्क अब यह निकम्मी सरकार दे रही है। वास्तविकता अलग है। दुनियाभर में खाद्यान्नों के दाम कम हो रहे हैं और भारत में बढ़ रहे हैं।

चालीस चोर और एक-दूसरे के खिलाफ शोर

जैसा हम देख रहे हैं यह स्पष्ट है कि आज की महंगाई के लिए मुख्यतः यूपीए सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। लेकिन, अब उन्होंने नया खेल शुरू किया है। टीवी चर्चाओं पर और दबी आवाज में महंगाई का ठीकरा शरद पवार के माथे फोड़ने का काम शुरू हुआ है। शरद पवार खाद्य मंत्री के तहत पूरी तरह से विफल रहे हैं और वे इस स्थिति के लिए जिम्मेवार भी है। लेकिन, यह अर्ध सत्य होगा। प्राइवेट कम्पनियों को किसान से खरीद की इजाजत देना, भंडारण संबंधी नियमों में बदलाव न करना, गन्ने के मामले में काला अध्यादेश लाना, स्वामीनाथन फार्मूला न अपनाना, बाजार में अनाज न लाना, यह सब सरकार के सामूहिक निर्णय हैं। कांग्रेस विश्वामित्र की भूमिका में जाकर जिम्मेवारी से भागना चाहती है।

वास्तविकता यह है कि यह अली बाबा और चालीस चोरों

का राज है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देश में जब चावल की कमी है, तो 25 लाख टन चावल वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्यात किया गया। अफ्रीकी देशों को मानवीय आधार पर चावल निर्यात करने की योजना में जमकर घोटाला हुआ है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मना करने के बावजूद भी वाणिज्य मंत्रालय ने अफ्रीकी देशों को मानवीय न्याय देना उचित समझा। देश में मानवीय न्याय नहीं मिलेगा लेकिन, विदेश को मिलेगा। वास्तविकता यह है कि यह घाटालों की सरकार है। लूटपाट मची है। और जब जन–आक्रोश सामने आता है तो भागने के लिए एक–दूसरे पर दोषारोपण करते है। सच्चाई एक है। एक ही है कि यह सरकार ही महंगाई के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है।

सरकार की करनी - महंगाई बढ़नी

पेट्रोल–डीज़ल के दाम सरकार तय करती है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल–डीज़ल भारत में मिलता है। क्योंकि पेट्रोल–डीज़ल की कीमत ने आधा हिस्सा करों का है। दुनिया में कहीं भी किसी भी वस्तु पर और खासकर जरूरतमंद वस्तुओं पर 100 फीसदी टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन, अपने देश में यह हो रहा है। आज पेट्रोल की वास्तविक कीमत 22–25 रूपए होनी चाहिए। वह आज 45–50 है क्योंकि सरकार कर भारी मात्रा में है। सीधे–सीधे सरकारी नीतियों के कारण यह दाम बढ़े है। इसके बारे में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों का बहाना बनाया जाता है। लेकिन, जब सितम्बर 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60 डॉलर प्रति बैरल दाम था तब यहां 43 रूपए में पेट्रोल मिलता था। लेकिन, दिसम्बर 2008 में जब दाम 43 डॉलर प्रति बैरल इतना कम हुआ तब देश में पेट्रोल 50 रूपए के दाम से बेचा गया।

श्री अटल जी के शासन में 6 साल में गेहूं आयात करने की नौबत कभी नहीं आई। यूपीए की गलत नीतियों के कारण गेहूं आयात करने की नौबत आई। और आयातित गेहूं ऐसा था कि जो खाने लायक भी नहीं था। गोदामों में सड़ गया। लोगों ने फेंक दिया। मात्र इस आयातित गेहूं के साथ नई–नई खरपतवार आई, जो कृषि को आने वाले सालों में तबाह करेगी।

तेल की यही कहानी है। 2003 तक देश में तेल आयात नहीं होता था। तेल के मामले में देश स्वयंपूर्ण था। लेकिन, यूपीए सरकार की किसान विरोधी नीति से तेल का मिशन डूब गया। इस सरकार को आयात–निर्यात करने में रूची है। तिलहन की खेती को लंबे समय के लिए कीमतों की गारंटी करने की बजाय, इस सरकार ने तेल आयात की इजाजत दी। शुरू में आयातित तेल सस्ते में आया। देश का तेल उद्योग खत्म हुआ। मलेशिया से बिना कस्टम ड्यूटी भारत में तेल नहीं आ सकता। लेकिन, श्रीलंका और मेलशिया में फ्री ट्रेड होने के कारण वहां तेल आना शुरू हुआ। भारत के कारखाने बंद हुए। उन्हीं मालिकों ने श्रीलंका में कारखाने शुरू किए। श्रीलंका और भारत में फ्री ट्रेड है इसलिए मलेशिया का तेल व्हाया श्रीलंका आना शुरू हुआ। आज जरूरत का 60 फीसदी तेल आयात हो रहा है। एक स्वयंपूर्ण देश को यूपीए ने परावलंबी देश बना दिया। दाल और तेल में स्पेशल मिशन बने, लेकिन कमिशन हावी रहा। इसलिए देश के किसान को न लाभकारी मूल्य मिला, न शोध द्वारा उत्पादकता बढ़ाने में यश मिला, न ही सुरक्षित पानी मिला। इतना ही नहीं सरकार की आयात–निर्यात नीति में कोई कारगर नीति नहीं है।

सरकार हर साल समर्थन मूल्य घोषित करती है, लेकिन देरी से। यह समर्थन मूल्य हमेशा ही बाजार मूल्यों से बहुत कम रहे हैं। 2009 में अरहर दाल का समर्थन मूल्य 2300 रूपए, जबकि बाजार में 9000 है। उड़द दाल का समर्थन मूल्य 2520 और बाजार में 6000 रूपए है। मूंग दाल का समर्थन मूल्य 2760 और बाजार में मूल्य 6200 रूपए है। इस साल गन्ने का उचित मूल्य 129 रूपए और किसान को आज 229 रूपए मिल रहे है। इसका मतलब सरकारी समर्थन या उचित मूल्य समुचित नहीं है, अपर्याप्त है और किसान विरोधी है।

यह भी देखने की बात है कि सरकार कैसा प्रबंधन करती है। पिछले साल सरकार ने 10 लाख टन दाल आयात की और आयात की कीमत से 15 रूपए छूट देकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को देने की घोषणा की थी। लेकिन, दाल आयात तो हुई लेकिन, ज्यादा दाल विभिन्न बंदरगाहों पर सड़ती रही। लोगों को न मिली दाल, न राहत, न छूट।

आंकड़ों का खेल और गैर-जिम्मेदार बयानबाजी

पहले तो यह सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी कि महंगाई बढ़ रही है। थोक व्यापार सूचकांक के आधार पर सरकार लगातार यह बताती रही कि महंगाई की दर मात्र 1 या 2 प्रतिशत है और महंगाई नहीं है। लेकिन, यह आंकड़ें 220 वस्तुओं से मिलकर होते है और वह भी थोक व्यापार के होते है। ग्राहक तो खुदरा बाजार में खरीद करता है। महंगाई सामने न आए इसलिए सरकार ने छुपाने की बहुत कोशिश की। लेकिन, सच्चाई सामने आ ही गई। खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें 20 फीसदी से बढ़ रही हैं, यह साबित हो गया। अनेक वस्तुओं के दाम तो सालभार में दुगने हो गए, यह जनता का अनुभव था।

ऐसी स्थति में महंगाई रोकने के लिए सरकार को ठोस उपाय करने चाहिए थे। लेकिन, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टे गैर–जिम्मेदाराना बयान देने लगे। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, खाद्य मंत्री और अन्य मंत्री भी, "महंगाई और बढ़ेगी" ऐसा कहने लगे। महंगाई बढ़ेगी, यह बताने के लिए मंत्रियों की क्या जरूरत है? मंत्री का काम होता है कि महंगाई को कैसे रोकेगें, यह बताना। इसके विपरीत मंत्रियों के बयान से महंगाई में और आग लग गई। ऐसी गैर–जिम्मेदार सरकार कभी किसी ने नहीं देखी होगी।

सरकार के कुछ मंत्री और प्रवक्ता यह तर्क देने लगे कि, "महंगाई का बोझ जनता पर नहीं है, क्योंकि चुनाव तो हम जीत रहे हैं।" इतना हास्यास्पद तर्क कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस चुनावी सफलता को महंगाई बढ़ाने का जनादेश मान रही है। जनता को भी इसके बारे में सोचना होगा।

सरकार के मंत्री कहते है कि फारवर्ड ट्रेडिंग से किसान को लाभ होता है। लेकिन, अपने देश में यह अनुभव नहीं है। जो कारोबार कुछ साल पहले 62 हजार करोड़ का था, वह आज 37 लाख करोड़ का हो गया है। यह भी देखना जरूरी है कि कितने किसान फारवर्ड ट्रेडिंग में भाग लेते है।

श्री शरद पवार ने तो यहां तक बयान दिया कि जलवायु परिवर्तन के कारण देश में अनाज का उत्पादन कम हुआ है। यह भी कुतर्क है क्योंकि इतने बड़े देश में कुछ मात्रा में सूखा

और बाढ़ जैसी नैसर्गिक आपदाएं आती है और इसलिए सरकार बफर स्टॉक की योजना करती है।

सरकार के कुछ मंत्री तो यहां तक कह रहे हैं कि लोग अब ज्यादा खा रहे हैं। यह बयान तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बुश के बयान जैसा ही है, जिन्होंने कहा था कि भारत के लोग अब ज्यादा खाने लगे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते है कि क्या गरीब को दो वक्त खाने का अधिकार नहीं है? सरकार को ऐसी गैर–जिम्मेदार बयानबाजी तुरंत समाप्त करनी चाहिए।

हमारी मांगें

महंगाई गरीब की दुशमन है। गरीब एवं मध्य वर्ग का जीवन दुभर कर देने वाला संकट है। 1. किसान को लाभकारी मूल्य, 2. ग्राहक को सही कीमत और 3. सट्टोरियों–मुनाफाखोरों पर लगाम, इस त्रिसूत्री में भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है।

lçx ljdkj ds 'kkludky esa fofHké vko';d oLrqvksa dh vkSlr ewY; of) dk pkVZ

Øekad	uke	ewY; ¼:i;s çfr fdyks½ ,uMh, ¼ebZ 2004½	ewY; ¼:i;s çfr fdyks½ ;wih, ¼vçSy] 2008½	ewY; ¼:i;s çfr fdyks½ ;wih, ¼01 tuojh] 2010½
1.	गेंहू	9	16–22	16–22
2.	आटा	10	16–18	16–25
3.	चावल	10	25–32	25–35
4.	ब्रेड	8	15	12–17
5.	चीनी	14	22	44
6.	चाय	80	150–200	150–240
7.	मूंग दाल	24	50	70–90
8.	अरहर दाल	26	38	85–90
9.	मसूर दाल	22	35	55–68
10.	चना दाल	25	42	45–50
11.	राजमा	28	56	60–70
12.	बेसन	20	50	40–50
13.	सरसों का तेल	30–35	80–92 / लीटर	80–92 / लीटर
14.	आलू	2–5	8–10	10–15
15.	प्याज	6	10–15	25 / –प्रति किलो
16.	टमाटर	9	15–20	20 / –प्रति किलो
17.	देसी घी	110–120	160-165	280–290
18.	दूध	14 / लीटर	24/Ltr.	26 / लीटर
19.	एलपीजी गैस	244	295	325–280 / *सिलेंडर ¼40 :- lfClMh½*
20.	पैट्रोल	24 / लीटर	45.92 / लीटर	44.63 / लीटर
21.	डीज़ल	22.50 / लीटर	33 / लीटर	32.82 / लीटर
22.	सीएनजी	14.18 / लीटर	19.10 / लीटर	21 / लीटर
23.	सीमेंट	125 / बैग	235–260 / बैग	260–320 / बैग
24.	स्टील	23000 / टन	50,000 / टन	44,000 / टन
25.	ईंट	रू 1800 / 1000Nos	3000/1000	3000-3800/1000
26.	सोना	4,500–5,000 / 10 ग्राम	13,000 / 10 ग्राम	17,000 / 10 ग्राम
27.	चांदी	8,000–9,000 / किलो	23,400 / किलो	27,500 / किलो

1. ग्राहकों को तुरंत राहत देने के लिए सब्सिडी देकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बीपीएल तथा एपीएल परिवारों को 5 किलो चीनी, 5 किलो दाल, 5 किलो तेल, 30 किलो चावल / गेहूं वाजिब दामों में उपलब्ध कराने चाहिए।
2. खाद्यान्नों की फारवर्ड ट्रेडिंग बंद होना चाहिए।
3. सट्टेबाजों एवं मुनाफाखोरों पर लगाम कसनी चाहिए।
4. सरकारी गोदामों का अनाज बाजार में तुरंत लाना चाहिए।
5. महंगाई को रोकने के लिए वित्तीय नीति में आवश्यक बदलाव करने चाहिए।
6. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए और इसके लिए स्वामीनाथन फार्मूला लागू होना चाहिए।
7. कृषि लागत यानी खाद, बीज, दवा इनकी दरों को नियंत्रित किया जाए।
8. देश की जरूरत पूरा करने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के सार्थक प्रयास एवं तेज गति से सिंचाई का विकास होना चाहिए।
9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त–दुरूस्त बनाना चाहिए। वहां से बाजार में चोरी होने वाले अनाज के व्यापार पर रोक लगानी चाहिए। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद हैं)

फरार आतंकियों के मसले पर भाजपा ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ

Hkkजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री रविशंकर प्रसाद ने 4 जनवरी को संवाददाताओं से बातचीत में कहा, 'तीनों आतंकवादियों को फरार हुए तीन दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका है।'

इसे गंभीर सुरक्षा चूक करार देते हुए श्री प्रसाद ने इस मामले को वर्ष 1999 के कंधार विमान अपहरण कांड के समानांतर दर्शाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 'कंधार मुद्दे को लेकर कांग्रेस खूब हो हल्ला मचाती है लेकिन इस मुद्दे पर उसने मौन साध रखा है। गृह मंत्री पी. चिदम्बरम क्यों चुप हैं। उन्हें तो काबिल गृह मंत्री बताया जाता है।'

उल्लेखनीय है कि अस्पताल के गुरुनानक आंख केंद्र में आंखों के इलाज के लिए तीनों आतंकवादियों को वहां ले जाया गया था। इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) का एक उपनिरीक्षक उनकी निगरानी कर रहा था। तकरीबन ढाई बजे तीनों आतंकवादी जामा मस्जिद के निकट साइकिल बाजार में भोजन करने निकले और उसके बाद वापस नहीं लौटे। तीनों आतंकवादी वर्ष 2000 में दिल्ली में बम विस्फोट करने की साजिश रचते पकड़े गए थे। इसके बाद उन्हें इस आरोप में पांच साल के कारावास की सजा हुई थी। तीनों ने पिछले साल 23 अक्टूबर को अपनी सजा पूरी कर ली थी।

आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र की हत्या पर प्रधानमंत्री बयान दें

श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'प्रधानमंत्री को देश को यह बताना चाहिए कि जब तक कि सरकार कोई प्रभावी कार्रवाई करेगी, उससे पहले कितने और लोगों की जानें जाएंगी या और कितने लोग घायल होंगे।'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि इस मसले पर सरकार की क्या राय है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास आक्रामक कूटनीतिक रवैया अपनाने के अलावा भी कई विकल्प है और उसे उसी आधार पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। श्री प्रसाद ने कहा, 'देश के प्रत्येक नागरिक की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।'

ज्ञात हो कि हाल ही में नितिन गर्ग नामक एक भारतीय छात्र की मेलबर्न में अज्ञात हमलावरों द्वारा चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। गर्ग भारत के पंजाब का रहने वाला था।

टाईटलर को क्यों छोड़ा

भाजपा ने सरकार से इस बात का जवाब देने की 31 दिसम्बर को मांग की कि 1984 के सिख विरोधी दंगे भड़काने के मामले में केवल सज्जन कुमार के विरुद्ध मामला चलाने की अनुमति सीबीआई को क्यों दी गई और कांग्रेस पार्टी के ही अन्य आरोपी नेता जगदीश टाईटलर को क्यों छोड़ा गया।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'टाईटलर के विरुद्ध मामला चलाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? उन्हें क्यों बख्शा गया? और इस बारे में निर्णय करने में इतना विलंब क्यों किया गया?' उन्होंने कहा कि 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों में सज्जन और टाईटलर दोनों पर दंगाइयों को उकसाने का आरोप है।

श्री प्रसाद ने कहा कि भारत की जनता इस समय निर्दोष सिखों के खिलाफ हुए जघन्य अपराध के सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहती है। दोषियों के खिलाफ तुरंत और समयबद्ध तरीके से न्याय प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।

इस साल हुए लोकसभा चुनाव में सज्जन और टाईटर दोनों को कांग्रेस ने टिकट दिया था लेकिन जनता में इसका बड़े पैमाने पर विरोध देख कर बाद उन्हें उम्मीदवारों की सूची से काट दिया। ■

विकसित राज्यों से आगे निकला बिहार : सुशील मोदी

पटना। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि एनडीए शासन में विकास कार्यों को तरजीह देने के कारण ही बिहार की विकास दर में लगातार इजाफा संभव हो पाया है। विकास दर के मामले में बिहार ने अब आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर के मामले में बिहार गुजरात के बाद दूसरे पायदान पर है। बिहार के पिछड़ेपन के लिए राजद–लोजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन दलों के नेताओं की आंखें अब भी खुल जाए तो बिहार का भला हो जाएगा। बिहार को समृद्ध प्रदेश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने विरोधी दलों के नेताओं को बिहार की भोली भाली जनता को गुमराह करने से बाज आने की नसीहत दी और कहा कि एनडीए के चार वर्षों में र्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्होंने राजद शासन की चर्चा करते हुए कहा कि उस दौरान विकास दर ऋणात्मक थी। राजद ने 15 वर्षों में विकास कार्यों पर मात्र 25 हजार करोड़ रूपये खर्च किएए जबकि एनडीए सरकार ने मात्र 4 वर्षों में ही 35 हजार करोड़ रूपये व्यय किए। यही वजह है कि 2004–05 से 2008–09 यानी पिछले 5 वर्षों में औसत विकास दर 11.03 पर पहुंची।

अनिवार्य मतदान है लोकशक्ति का शंखनाद

Mk- on çrki ofnd

Xजरात विधानसभा ने अनिवार्य मतदान का विधेयक क्या पास किया, सारे देश में हंगामा मच रहा है। हालांकि सारे देश से इस विधेयक का कोई संबंध नहीं है। यह विधेयक सिर्फ गुजरात के लिए है। वह भी वहां के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तो जैसे अब तक होते रहे हैं, वैसे ही होते रहेंगे। यदि उनमें कोई मतदान न करना चाहे तो न करे। सारे देश में अनिवार्य मतदान लागू करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि संसद उसकी अनुमति न दे।

फिर भी सारे देश में इसे लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? शायद इसलिए कि इस क्रांतिकारी पहल का श्रेय नरेन्द्र मोदी को न मिल जाए। यह पहल इतनी अच्छी है कि इसके विरोध में कोई तर्क जरा भी नहीं टिक सकता। आज नहीं तो कल, सभी दलों को इस पहल का स्वागत करना होगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में यह नई जान फूंक सकती है। अब तक दुनिया के 32 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है लेकिन यही व्यवस्था अगर भारत में लागू हो गई तो उसकी बात ही कुछ और है। यदि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान करना अनिवार्य हो गया तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पुराने और सशक्त लोकतंत्रों को भी भारत का अनुसरण करना पड़ सकता है, हालांकि भारत और उनकी समस्या एक–दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। भारत में अमीर लोग वोट नहीं डालते और इन देशों में गरीब लोग वोट नहीं डालते।

> ***पिछले 62 साल में हमारे यहां एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी, जिसे कभी 50 प्रतिशत वोट मिले हों। कुल वोटों के 50 प्रतिशत भी नहीं। जितने वोट पड़े, उनका भी 50 प्रतिशत नहीं।***

भारत इस तथ्य पर गर्व कर सकता है कि जितने मतदाता भारत में हैं, दुनिया के किसी भी देश में नहीं हैं और लगभग हर साल भारत में कोई न कोई ऐसा चुनाव अवश्य होता है, जिसमें करोड़ों लोग वोट डालते हैं लेकिन अगर हम थोड़ा गहरे उतरें तो हमें बड़ी निराशा भी हो सकती है। क्या हमें यह तथ्य पता है कि पिछले 62 साल में हमारे यहां एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी, जिसे कभी 50 प्रतिशत वोट मिले हों। कुल वोटों के 50 प्रतिशत भी नहीं। जितने वोट पड़े, उनका भी 50 प्रतिशत नहीं। मान लें कि भारत में कुल वोटर 60 करोड़ हैं। 60 करोड़ में से मानो 40 करोड़ ने वोट डाले। यदि किसी पार्टी को 40 करोड़ में से 10–12 करोड़ वोट मिल गए तो भी वह सरकार बना लेती है। दूसरे शब्दों में 115 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ 10–12 करोड़ लोगों के समर्थनवाली सरकार क्या वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार है? क्या आप उसे वैध सरकार कहना पसंद करेंगे? क्या वह बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है? आज तक हम ऐसी ही सरकारों के आधीन रहे हैं।

लोकतंत्र के नाम पर चल रहे इस छलावे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हमारे सामने रास्ते तो कई मौजूद हैं लेकिन सबसे पहला रास्ता वही है, जो फिलहाल गुजरात ने पूरे देश को दिखाया है। देश के प्रत्येक वयस्क को बाध्य किया जाना चाहिए कि वह मतदान करे। बाध्यता का अर्थ यह नहीं है कि वह इस या उस उम्मीदवार को वोट दे ही। अगर वह सारे उम्मीदवारों को अयोग्य समझता है तो किसी को वोट न दे। परिवर्जन (एब्सटेन) करे, जैसा कि संयुक्तराष्ट्र संघ में सदस्य–राष्ट्र करते हैं। दूसरे शब्दों में यह वोट देने की बाध्यता नहीं है बल्कि मतदान केन्द्र पर जाकर अपनी हाजिरी लगाने की बाध्यता है। यह बताने की बाध्यता है कि इस भारत के मालिक आप हैं और आप जागे हुए हैं। आप सो नहीं रहे हैं। आप धोखा नहीं खा रहे हैं। आप यह नहीं कह रहे हैं कि 'को नृप होई, हमें का हानि' यदि आप वोट देने नहीं जाते तो माना जाएगा कि आप यही कह रहे हैं और ऐसा कहना लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना नहीं तो क्या है?

वोट देने के लिए बाध्य करने का वास्तविक उद्देश्य है, वोट देने के लिए प्रेरित करना। कोई वोट देने न जाए तो उसे अपराधी घोषित नहीं किया जाता और उसे जेल में नहीं डाला जाता, लेकिन उसके साथ वैसा ही किया जा सकता है जैसा कि बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, ग्रीस, बोलिविया और इटली जैसे देशों में किया जाता है यानी मामूली जुर्माना किया जाएगा या पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बैंक खाता नहीं खोलने देंगे या

> ***मतदान न करना वास्तव में अपने मौलिक अधिकार की उपेक्षा करना है। यदि भारत में मतदान अनिवार्य हो जाए तो चुनावी भ्रष्टाचार बहुत हद तक घट जाएगा। वोटरों को मतदान केन्द्र तक ठेलने में अरबों रुपया खर्च होता है, शराब की नदियां बहती हैं, जात और मजहब की ओट ली जाती है तथा असंख्य अवैध हथकंडे अपनाए जाते हैं। इन सबसे मुक्ति का रास्ता इसी तरह से निकल सकता है।***

चार–पांच बार लगातार मतदान न करने पर मताधिकार ही छिन जाएगा। इस तरह के दबावों का ही परिणाम है कि अनेक देशों में 98 प्रतिशत मतदाता वोट डालने जाते हैं। इटली में तो अनिवार्यता हटा लेने पर भी 90 प्रतिशत से अधिक मतदान होता है, क्योंकि मतदान करना लोगों की आदत बन गया है।

मतदान न करना वास्तव में अपने मौलिक अधिकार की उपेक्षा करना है। यदि भारत में मतदान अनिवार्य हो जाए तो चुनावी भ्रष्टाचार बहुत हद तक घट जाएगा। वोटरों को मतदान केन्द्र तक ठेलने में अरबों रुपया खर्च होता है, शराब की नदियां बहती हैं, जात और मजहब की ओट ली जाती है तथा असंख्य अवैध हथकंडे अपनाए जाते हैं। इन सबसे मुक्ति का रास्ता इसी तरह से निकल सकता है। इसके होने पर लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। वोट–बैंक की राजनीति थोड़ी पतली पड़ेगी। जो लोग अपने मतदान–केन्द्र से काफी दूर होंगे, वे डाक या इंटरनेट या मोबाइल फोन से वोट कर सकते हैं। जो लोग बीमारी, यात्रा, दुर्घटना या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से वोट नहीं डाल पाएंगे, उन्हें कानूनी सुविधा अवश्य मिलेगी। यों भी सारी दुनिया में मतदान के दिन छुट्टी ही होती है। इसीलिए यह तर्क अपने आप रद्द हो जाता है कि गरीब आदमी वोट की लाइन में लगेगा या अपनी रोज की रोटी कमाएगा?

जिस दिन भारत के 90 प्रतिशत से अधिक नागरिक वोट डालने लगेंगे, देश में राजनीतिक जागरूकता इतनी बढ़ जाएगी कि लोग जनमत–संग्रह, जन–प्रतिनिधियों की वापसी, सानुपातिक प्रतिनिधित्व और सुनिश्चित अवधि की विधानपालिका और कार्यपालिका की मांग भी मनवा कर रहेंगे। जिस दिन भारत की संसद और विधानसभाओं में केवल ऐसे सदस्य होंगे, जिन्हें अपने क्षेत्र के 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं ने चुना है, आप कल्पना कीजिए कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत हो उठेगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि 'तंत्र' के साथ–साथ श्लोकश भी मजबूत हो। अनिवार्य मतदान लोकशक्ति का प्रथम शंखनाद है। ■

(लेखक भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं)

भाजपा विधायकों ने किया अरुण जेटली का स्वागत

fnल्ली के भाजपा विधायकों ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली का जोरदार स्वागत किया।

इस मौके पर दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि श्री जेटली दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले नेता हैं और वे हमेशा ही पार्टी के युवाओं का मार्गदर्शन करते रहे

हैं। उन्होंने कहा कि श्री जेटली ने अपनी प्रतिभा की बदौलत ही भारत के महाधिवक्ता के पद को सुशोभित किया और उनके कार्यकाल में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए जो भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। उन्होंने कहा कि श्री जेटली एक श्रेष्ठ वकील होने के साथ–साथ, एक श्रेष्ठ वक्ता और बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन भी हैं।

इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को संबोधित करते हुए श्री जेटली ने कहा कि प्रो. मल्होत्रा जब दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद थे, तो उनके कार्यकाल में ऐसे अनके कार्य किए गए, ऐसी कई परियोजनाएं शुरू की गईं और कई ऐसे निर्णय लिए गए, जिनकी सराहना आज भी दिल्ली की जनता करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी विद डिफेरेंस और सुशासन भारतीय जनता पार्टी की मुख्य पहचान रही है और पार्टी इस विचारधारा को और सुदृढ़ करने के लिए सदैव कार्यरत रहेगी।

श्री जेटली ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रो. मल्होत्रा के कुशल नेतृत्व में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वे आगे भी एकजुट होकर पार्टी को बुलंदियों तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली सहित पूरा देश महंगाई और आतंकवाद से जूझ रहा है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने कार्यकर्ताओं को लेकर एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी।

उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां की जनता को सुशासन मिले, इसकी चिंता भी उनकी पार्टी को है। उन्होंने सभी विधायकों से कहा कि वे सदैव जनहित के लिए कार्य करें। ■

भाजपा ने प्रस्ताव पारित कर कहा- कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल

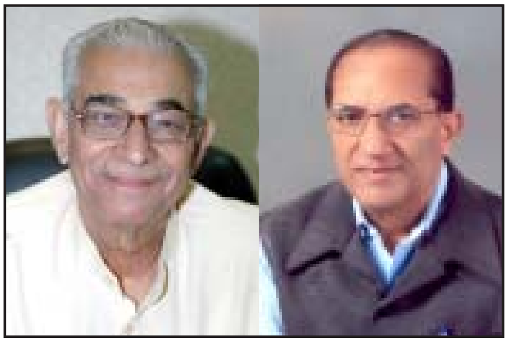

दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यसमिति ने नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर दिल्ली सरकार की बेलगाम मंहगाई और लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था के लिए कड़ी भर्त्सना की। कार्यसमिति की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली ने की।

प्रस्ताव में कहा गया कि वर्ष 2009 दिल्लीवासियों के लिए, खासतौर से आम आदमी के लिए भारी मुसीबतों का वर्ष रहा है। सरकार चाहे जो दावा करे, वर्ष 2009 में दिल्लीवासियों को भारी आर्थिक बोझ और असहय मंहगाई की मार झेलनी पड़ी है। आम आदमी की रोज़मर्रा की जरूरी वस्तुएं आसमान छू रही हैं, बिजली–पानी, सीवर जैसी नागरिक सुविधाएं मंहगी हो गई है, सार्वजनिक परिवहन डीटीसी और मैट्रो के भाड़े में भारी वृद्धि की गई है। स्कूली बच्चों की फीस में वृद्धि की गई है।

सरकार चाहे जो दावा करे, वर्ष 2009 में दिल्लीवासियों को भारी आर्थिक बोझ और असह्य मंहगाई की मार झेलनी पड़ी है। आम आदमी की रोज़मर्रा की जरूरी वस्तुएं आसमान छू रही हैं, बिजली–पानी, सीवर जैसी नागरिक सुविधाएं मंहगी हो गई है, सार्वजनिक परिवहन डीटीसी और मैट्रो के भाड़े में भारी वृद्धि की गई है। स्कूली बच्चों की फीस में वृद्धि की गई है।

कार्यसमिति का मत है कि मंहगाई रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने में सरकार पूर्णतः विफल रही है। यूपीए सरकार कभी आर्थिक मंदी को, कभी कमज़ोर मानसून को और कभी राज्यों की निष्क्रियता को मंहगाई के लिए जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती रही है। दिल्ली प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की यह बैठक सरकार से मंहगाई पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करती है।

वर्ष 2009 में दिल्लीवासियों ने राजधानी की कानून व्यवस्था को बुरी तरह चरमराते देखा है। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की हत्याओं, खासतौर से कामकाजी महिलाओं पर हमले और बलात्कार की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। बच्चों के अपहरण, लूटपाट, चेन झपटने जैसे अपराधों में हुई बढ़ोतरी के अलावा खासतौर से व्यापारियों की लूटपाट और हत्याओं में हुई वृद्धि ने दिल्ली में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हाल ही में 16 दिसम्बर को अशोक विहार में, 19 दिसम्बर को बाड़ा हिन्दू राव में, 27 दिसम्बर को दक्षिणी–पश्चिमी दिल्ली में और 28 दिसम्बर को कंझावला में व्यापारियों पर हुए हमलों के कारण दिल्लीवासी, विशेष रूप से व्यापारी वर्ग, बुरी तरह सहम गया है। सरकार नागरिकों को उनके जीवन की सुरक्षा का आश्वासन देने के अपने बुनियादी कर्तव्य का पालन करने में पूर्णतः विफल रही है। दिल्ली प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफलता के लिए सरकार की कड़ी भर्त्सना करती है और दिल्ली सरकार तथा गृहमन्त्री से मांग करती है कि राजधानीवासियों को उनके जान–माल की रक्षा का आश्वासन देने और दिल्ली को अपराधमुक्त महानगर बनाने के लिए ठोस और कारगर कदम उठाए।■

भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ

गडकरी को स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत

भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ, दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें पूर्वांचल की मशहूर 'पाग', शाल और 'जय श्री राम' का स्मृति चिह्न भेंट किया गया।

श्री गडकरी ने भी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही और सभी को धन्यवाद दिया। स्वागत समारोह में प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अवधेश सिंह, पूनम आजाद, लालबिहारी तिवारी, नीरा शास्त्री, सूर्यभान पांडेय, अनिल दुबे, उमांशकर मिश्रा, आनंद मोहन झा, मनोज, लालजी पांडेय, निर्मला शर्मा आदि सहित भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ■

रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट को लागू नहीं होने देंगे : नितिन गडकरी

Hkkरतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से प्रातः 10:30 बजे, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर श्री नितिन गडकरी का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया।

अभिनन्दन कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न पू. बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर, पू. डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पू. पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

भाजपा के नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का अभिनन्दन अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. सत्यनारायण जटिया ने फूलमालाओं एवं अंगवस्त्र भेंट कर किया। इस अभिनन्दन कार्यक्रम में मोर्चा प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल, श्रीमती अनिता आर्य, राष्ट्रीय महामंत्री श्री थावरचंद गेहलोत, पूर्व मोर्चा अध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद, श्री नारायण सिंह केसरी, संसद सदस्य, उपाध्यक्ष डा. विजय सोनकर शास्त्री, श्री चुन्नी लाल रतवाया, श्री रमेश चन्द्र 'रत्न' मंत्री श्री राजेश बग्गा श्री वीरेन्द्र कश्यप (सांसद) श्री अर्जुन मेघवाल (सांसद) डा. कंवर सेन, महापौर दिल्ली ने भी फूलमालाओं से स्वागत किया।

अभिनन्दन कार्यक्रम में नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को ही आगे लाया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार में जब मैं लोक–निर्माण मंत्री था। तब मैंने अपने शासन काल में भारत रत्न बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से अनु. जाति उत्थान के लिए योजना बनायी, आगे भी अनुसूचित जाति वर्ग के हितों के लिए कार्य करता रहूंगा। यूपीए सरकार द्वारा रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट संसद में रखे जाने पर हम इस रिपोर्ट को लागू नहीं होने देंगे। भाजपा इस रिपोर्ट का डटकर विरोध करेगी।

डा. सत्यनारायण जटिया ने कहा कि संगठन को मजबूत, संगठन विस्तार एवं सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार समय–समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं और आगे भी पार्टी की मजबूती हेतु कार्यक्रम प्रायोजित किए जाएंगे। रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को यूपीए सरकार लागू करने का मन बना चुकी है लेकिन हम लागू नहीं होने देंगे तथा मोर्चा का एक–एक कार्यकर्ता अनुसूचित जाति की बस्तियों में जाकर, विचार गोष्ठियों के माध्यम से धरने–प्रदर्शन आयोजित किये जाएंगे तथा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट, राष्ट्र–विरोधी है असंवैधानिक है तथा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विरोधी हैं। धर्मान्तरित मुस्लिम एवं ईसाइयों को यूपीए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किए जाने के विरोध में विशाल चेतावनी रैली, राजा गार्डन मैदान दिल्ली में आयोजित की गयी। जिसमें देशभर के लाखों लोगों ने भाग लिया था तथा रंगनाथ मिश्र आयोग द्वारा धर्म परिवर्तन करने वाले मुस्लिम एवं ईसाइयों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने की सिफारिश का हम विरोध करते हैं। मोर्चा द्वारा संसद के अंदर एवं बाहर विरोध किया जाएगा किसी भी कीमत पर सरकार को यह रिपोर्ट लागू नहीं करने देंगे।

अभिनन्दन कार्यक्रम में मंच का संचालन श्री कैलाश सांकला, राष्ट्रीय महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा, भाजपा ने किया तथा श्री सांकला ने कहा कि डा. सत्यनारायण जटिया के कुशल नेतृत्व में मोर्चा द्वारा संगठन विस्तार हेतु समय–समय पर अनेकों कार्यक्रम किए गए जिनमें मुख्य हैं:–

– संगठन विस्तार योजना के अंतर्गत मोर्चा द्वारा सदस्यता अभियान में अनुसूचित जाति की बस्तियों व अन्य प्रांतों में 63 कार्यकर्ताओं को भेजा तथा सभी कार्यकर्ताओं ने 15 दिनों का समय दान दिया।

– 3, 4 तथा 5 अप्रैल 2008, झिंझौली हरियाणा में अखिल भारतीय तीन दिवसीय अभ्यास वर्ग।
– महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड विधानसभा चुनावों में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की टीम भेजी गई।
– 10, 11 तथा 12 सितम्बर 2009 देवभूमि हरिद्वारा उत्तराखंड में अखिल भारतीय तीन दिवसीय अभ्यास वर्ग।
– मोर्चा की महत्वपूर्ण उपलब्धि मोर्चा में पहली बार 63 पूर्णकालिक कार्यकर्ता तैयार किए।
– 21.09.2008 विशाल चेतावनी रैली, राजा गार्डन मैदान, दिल्ली।
– मोर्चा द्वारा पूरे देश में प्रमुख कार्यकर्ताओं को जो निष्क्रिय थे जैसे– पूर्व संसद सदस्य, पूर्व मंत्री,

पूर्व विधायक पूर्व पदाधिकारी, पूर्व प्रत्याशियों को चिन्हित करके उनके दूरभाष नम्बर एकत्रित कर उनसे संपर्क करके पार्टी की गतिविधियों के सक्रिय किया तथा हजारों कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की।

समय–समय पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मोर्चा को दायित्व दिया गया उसका निर्वाह बहुत ही समर्पण भाव से हमने किया है। मोर्चा का सभी राज्यों में गठन है। अपनी गतिविधियां प्रांत एवं जिला स्तर पर चला रहा है।

श्री सांकला ने नव–नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी को विश्वास दिलाया कि आपके सफल नेतृत्व में मोर्चा में एक स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार हुआ है। हम गांव–गांव तथा शहरों में जाकर सम्पर्क करके अनुसूचित जाति वर्ग की बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को घर–घर में पहुंचाएंगे।

अभिनन्दन कार्यक्रम में मोर्चा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत किया। जिनमें श्री छत्रपाल सिंह, श्री रामचन्द्र चावरिया, श्री सुरेश गौतम, श्री मदन लाल सांकला, श्री दुष्यंत गौतम, श्री श्यामलाल मोरवाल, चेयरमैन, श्रीमती पूर्णिमा विद्यार्थी, निगम पार्षद, चौ. चांदराम, श्री किशोर, श्री शांत प्रकाश, श्री योगेश्वर गर्ग, श्री ओपी सांकला, श्री गजानन्दन, श्री जयदेव बागोरिया, श्री सुंदर निगम, श्री किरोड़ी बसवाला, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री किशनपाल केन, श्री राजेन्द्र सोलंकी, श्रीमती गौरी अब्बुपुरिया, डा. रामधन राही, श्रीमती कौशल्या देवी, श्री मोहन सिंह, श्री सुभाष मेहरा, श्री रामचरण गुजराती, श्री राजेन्द्र राठौर, हरियाणा से श्री महावीर श्री सत्यवान सत्य श्री शंकर सोलंकी, श्री मोहन बहरान, श्री हरिकिशन ढकोलिया, श्री सुरेन्द्र भगत, श्री रामनिवास नागोरा, श्री विजय पहाड़िया, श्री बंसीलाल भारती, श्री जितेन्द्र गोढवाल, श्री लक्ष्मण दास, श्री बाबू लाल सरदार, श्री कुलवीन्द्र सिंह (बंटी), श्री ध्रुव वत्स, श्री अशोक लाल, श्रीमती विशाखा सैलानी अध्यक्ष महिला मोर्चा, दिल्ली प्रदेश एवं सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया।

भारत रत्न बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर एवं महर्षि भगवान वाल्मिकी जी के चित्र भेंट किए गये। ■

विकास दर सर्वे में भाजपा शासित राज्य सबसे आगे जो भाजपा के विकासोन्मुख विचारधारा का परिणाम : गडकरी

जनवरी 06, 2010 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संस्थान "केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Stastical Organisation) के विकास दर के सर्वे में भाजपा और राजग शासित प्रदेशों को सबसे अधिक उन्नत और प्रभावी राज्य बताया गया है।

सर्वे के प्रथम पांच राज्यों में चार भाजपा और राजग शासित राज्य है। पहली पंक्ति से कांग्रेस शासित राज्य नदारद है। तीव्रतर प्रगति वाले राज्यों में गुजरात प्रथम है, जिसने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2004–05 से 2008–09 में 11.05 प्रतिशत विकास दर प्राप्त की है। श्री नरेन्द्र मोदी की निरंतर विकास यात्रा को जनता ने स्वीकारा और समर्थन किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि राजग शासित प्रदेश बिहार है, जिसकी पिछले चार वर्षों की विकास दर 11.03 प्रतिशत है और यह सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य है। यह तब संभव हुआ जब मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार एवं उप–मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने सफल प्रदर्शन किया। बिहार आज बिमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर निकल विकास दर के पैमाने पर विकसित राज्यों से भी आगे निकल चुका है। इस तत्परता और तीव्रता से संचालित कार्यक्रमों के लिए बिहार की राजग सरकार बधाई की पात्र है।

भाजपा शासित उत्तराखंड भी विकास दर में आगे है वह देश में तीसरे स्थान पर है, जिसकी विकास दर 9.31 प्रतिशत है। दो तिहाई जंगल से घिरे इस प्रदेश ने विकास के सीमित संसाधनों के बावजूद जितनी तीव्रता से प्रगति की है, यह स्वागत योग्य है।

माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में विकास की जो संभावनाएं परिभाषित एवं प्रमाणित की गई थी और जिनमें भाजपा ने सतत् विश्वास रखा है वही आज सार्थक होती दिखाई दे रही है। उसी का परिणाम है कि भाजपा शासित राज्य कांग्रेस शासित राज्यों से आगे निकल चुके है। यह भाजपा के विकासोन्मुख विचारधारा को भी प्रदर्शित करती है। ■

लाल चौक पर हमला- हर भारतीय को चुनौती

नई दिल्ली में 9 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पारित प्रस्ताव

श्रीनगर में आतंक का भय फिर से छा गया है। श्रीनगर के लालचौक जैसे महत्वपूर्ण स्थल पर आतंकवादियों का हमला भारत की सम्प्रभुता पर हमला है। यह फिर से हमें याद दिलाता है कि भारत के शत्रुओं ने अपने बुरे इरादों को छोड़ा नहीं है। जहां एक तरफ आतंकवादी फिर से समूह बना कर इकट्ठा होने में लगे हैं तो दूसरी तरफ भारत सरकार सुरक्षा में कमी लाती जा रही है। राज्य सरकार सेना की भूमि की आवश्यकताओं के मामले में भी सहयोग नहीं कर रही है। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही स्वायत्तता और राष्ट्रीय सम्प्रभुता जैसे गैर जिम्मेदाराना विचारों पर चलती नजर आ रही है।

भाजपा श्रीनगर में लाल चौक पर हुए आतंकवादी हमलों की गहन कटु निंदा करती है। यह भारतवासियों के लिए जागरण– आह्वान है कि आतंकवादियों के बुरे इरादे आज भी सक्रिय हैं। आइए, यह हमला हमारे राष्ट्र को चुनौती है और हमें संकल्पशील बन कर पूरी दृढ़ता से आतंकवादियों के इरादों को कुचल देना होगा। ■

लोकसभा में भाजपा सशक्त विपक्ष की रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करेगी : सुषमा स्वराज

Hkkरतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को जहां शासन करने का जनादेश मिलता है विपक्ष को सदा पहरेदार की भूमिका जनता सौंपती है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष की रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करेगी।

विरोध के लिए विरोध करना हमारा मकसद नहीं होगा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दो सत्रों में पार्टी ने जनसस्याओं को लेकर प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। आगे भी पूरी जिम्मेदारी का बहादुरी के साथ देशभक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया जायेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी दोनों सदनों में पार्टी के कार्यकलापों के लिये मार्गदर्शन देंगे। उनकी छत्रछाया बनी रहेगी। हमारा अनवरत प्रयास होगा कि हर माह कम से कम चार दिन मध्यप्रदेश में पहुंचे और जनता से रूबरू हो। मध्यप्रदेश की समस्याओं का समाधान करना और विदिशा का विकास करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जायेगी। मध्यप्रदेश की समस्याओं को सदन में उठाया है।

प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं के समाधान में तत्परता बरती गयी है। हाल में डीएपी और यूरिया रासायनिक खाद की कमी का मामला शीर्ष स्तर पर उठाये जाने से 33 हजार मैट्रिक टन की पूर्ति की जा चुकी है। इसी तरह प्रदेश में तापविद्युत के लिए कोयला की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि स्थानीय समस्याएं भले ही छोटी हो लेकिन उनसे जनता का लगाव होता है। श्रीधाम एक्सप्रेस को विदिशा में रोकने और ग्वालियर, भोपाल इंटरसिटी को गंजबासौदा में रोकने, स्टाप बनाने की व्यवस्था की जा चुकी है। विदिशा में बायपास स्वीकृत किया गया।

> ***लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को जहां शासन करने का जनादेश मिलता है विपक्ष को सदा पहरेदार की भूमिका जनता सौंपती है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष की रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करेगी। विरोध के लिए विरोध करना हमारा मकसद नहीं होगा।***

रायसेन को राष्ट्रीय बागवानी परियोजना में शामिल किया गया है। कन्नौद में गैस एजेंसी और एक पुल के निर्माण का कार्य हुआ। नेता प्रतिपक्ष के नाते पूरे देश के प्रति जवाबदेही होगी फिर भी मध्यप्रदेश हमेशा मेरे राडार पर बना रहेगा।

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन को हाईकोर्ट से क्लिनचिट मिल जाने के बाद उनके साथ समझौता करने में कोई बुराई नहीं लगती। भारतीय राजनीति दो ध्रुवीय बनने के बाद गठबंधन के युग में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए झारखण्ड में राजनैतिक स्थिरता की दृष्टि से शिबू सोरेन के साथ समझौता करना एक मात्र बेहतर विकल्प था। पार्टी सिद्धांतों से कतई नहीं भटकी है। कांग्रेस के मुकाबले हमने बेहतर विकल्प पेश किया है। शिबू सोरेन के साथ सरकार बनाने का फैसला संसदीय बोर्ड के एक मत फैसले के बाद किया गया। विचार धारा के प्रति हमारी निष्ठा बरकरार है। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ का रिश्ता राजा और राजऋषि के समान है। नये संकल्प के साथ पार्टी आगे बढ रही है। एडीटर गिल्ड के मामले में उन्होंने कहा कि एडीटर गिल्ड ने अच्छी पहल की है। उन्होंने मीडिया से सेल्फ रेगुलेशन की अपेक्षा की। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक करने के बारे में राज्य का प्रस्ताव मिला था और अगली बैठक संभवतः फरवरी माह में इंदौर में आमंत्रित की जायेगी। तिथियों की घोषणा बाद में की जायेगी।

उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश में बुन्देलखण्ड के विभाजन की मांग के संबंध में पार्टी में कभी भी कोई विचार नहीं हुआ। विभाजन की मांग तभी उठती है जब क्षेत्रीय अंचल संतुलित विकास न होने के कारण पिछड़ जाता है। मध्यप्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड के विकास के लिये बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण का गठन करके अच्छी पहल की है। इसलिए बुन्देलखण्ड के गठन का कोई सवाल प्रासंगिक नहीं लगता।

उक्त अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सर्वश्री नरेन्द्रसिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, राष्ट्रीय सचिव प्रभात झा, वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान, विजेन्द्रसिह सिसोदिया सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। ■

गरीबी के झूठे आंकड़े परोस कर केन्द्र सरकार आत्ममुग्ध हो रही है : प्रभात झा

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सांसद श्री प्रभात झा ने 29 दिसम्बर को भोपाल में कहा कि संसद में केन्द्र सरकार की पेरोकारी करते हुए मुकुल वासनिक भी देश में गरीबों (बीपीएल) की संख्या के बारे में प्रामाणिक जानकारी बता पाने में असमर्थता व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह का यह दावा हास्यास्पद है कि देश में गरीबी घटी है।

श्री प्रभात झा ने कहा कि केन्द्र सरकार के आर्थिक विश्लेषकों की तेंदूलकर कमेटी ने भी कहा है कि देश के 37 करोड़ लोग 20 रु. प्रतिदिन से कम पर गुजारा करते है। वहीं अर्जुन सेनगुप्ता ने इनकी संख्या 80 करोड़ बतायी है। ऐसे में प्रधानमंत्री को गरीबी कम होने का हवाई दावा करने के बजाय हकीकत बताना चाहिए। लोकतंत्र में जमीनी वास्तविकता जानना जनता का हक है।

श्री प्रभात झा ने कहा कि प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह विश्व के अग्रणी अर्थशास्त्री है। वे अर्थव्यवस्था का डंका पीटना नहीं भूलते लेकिन वे इस बात की परवाह नहीं करते कि महंगाई का बेलगाम घोड़ा आम आदमी को रौंध रहा है। जो विकास आम आदमी को दो जून का भोजन आश्वस्त नहीं कर सका, उससे गरीबी उन्मूलन की आशा करना मृगतृष्णा ही कही जावेगी।

श्री प्रभात झा ने कहा कि केन्द्र सरकार की सरपरस्ती में गठित अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट बताती है कि आजादी के समय देश की जितनी कुल आबादी थी, उससे ज्यादा आर्थिक उदारीकरण से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के चलते गरीबी रेखा से नीचे पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही यूपीए सरकार देश में बढ़ती आर्थिक विषमता, गरीबों की थाली से सिमटते भोजन, गायब होती दाल रोटी को ही विकास बता कर आत्ममुग्ध हो रही है।

श्री प्रभात झा ने कहा कि मध्यप्रदेश में बीपीएल की संख्या 61 लाख तक पहुंच चुकी है। लेकिन केन्द्र सरकार इसे 41 लाख मानकर ही खाद्यान्न पूर्ति करना चाहता है। आंकड़ों को कम करके गरीबों की संख्या घटाना ही कांग्रेस का अर्थशास्त्र बन गया है। केन्द्र सरकार खाद्य सुरक्षा आश्वस्त करने में विफल साबित हो चुकी है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न घटता जा रहा है। ■

सरकार ही न चाहे तो दाल कौन उगाए

दाल की सरकारी कीमत यानी समर्थन मूल्य है 23 रूपये किलो और खुले बाजार में दाल बिक रही है 90 रूपये किलो। मतलब साफ है कि दाल उगाने में सरकारी प्रोत्साहन का दिखावा भी कायदे से नहीं होता। समर्थन मूल्य तो आयातित दाल की कीमत (अरहर का आयात मूल्य 56 रूपये प्रति किलो) से भी कम है। दाल की खेती के लिए सुविधाओं की कमी और किसानों की उपेक्षा और सबसे ऊपर सरकारी समर्थन का अभाव, इसके बाद आखिर कौन दाल उगाने की जहमत उठाएगा। समर्थन मूल्य की नीति ने अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित तो किया लेकिन दाल की खेती हाशिये पर ही रही। पिछले दो दशकों में लगभग आधा दर्जन बार ऐसा हुआ कि दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा ही नहीं की गई। जिन सालों में घोषणा की भी गई तो सरकारी खरीद के लिए केन्द्र ही नहीं खोले गए।

जब समर्थन मूल्य घोषित हुआ भी तो वह बाजार मूल्य के मुकाबले कई गुना तक नीचे रहा। वर्ष 2008–09 में अरहर का मूल्य 2,300 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया लेकिन खुले बाजार में अरहर दाल 90 से 100 रूपये किलो बिक रही है। महंगाई बढ़ने के खतरनाक संकेत पिछले तीन सालों से मिल रहे थे। लेकिन सरकार चेतने की जहग आयात से काम चलाने के दावे बढ़ चढ़कर करती रही।

दाल का संकट पिछले एक दशकों से लगातार खाद्य अर्थव्यवस्था को साल रहा है। सरकार के पास इसका आयात के अलावा कोई इलाज नहीं है। दिलचस्प है कि ताजा आयात 5,600 रूपए प्रति क्विंटल की कीमत पर हुआ है। जबकि समर्थन मूल्य इसका आधा ही रहने वाला है। आज जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दाल नहीं है तो सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। दाल का अंतरराष्ट्रीय ढांचा बहुत पेंचीदा है। दुनिया के कुछ ही देशों में दाल की सीमित खेती होती है क्योंकि ठंडे मुल्कों में प्रोटीन के और दूसरे स्रोत भी हैं। आस्ट्रेलिया व कनाडा केवल भारत के बाजार के लिए दाल उगाते हैं। कृषि मंत्रालय के अधिकारी मानते हैं कि दुनिया में दाल का समग्र उत्पादन भी भारत की मांग के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि दाल यहां के मुख्य भोजन में शामिल हैं।

मतलब यह कि दुनिया भारत को दाल नहीं खिला सकती। दाल यहां के खेतों में उगानी होगी या फिर दाल भोजन से बाहर हो जाएगी। सौ रूपये प्रति किलो का आंकड़ा छू रही दाल वैसे भी गरीब की थाली से तो कब की बाहर हो चुकी है। ■